सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2021-2022

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 (परिशिष्ट-I) में प्रकाशित दिनांक 05 नवंबर, 2019 के भारत सरकार के संकल्प के अधीन यथापेक्षित सोलहवीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

इस रिपोर्ट में 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान आयोग द्वारा की गई गतिविधियों और सिफ़ारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा शामिल है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
नई दिल्ली

आभार-ज्ञापन

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग विभिन्न क्षेत्रों के उन सभी विशेषज्ञों, सरकारी विभागों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अत्यंत आभारी है जिनके साथ इसने अपने कामकाज के दौरान विचार विमर्श तथा परामर्श किया था| उनकी भागीदारी तथा सहयोग के बिना, आयोग के लिए अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाना संभव न हो पाता।

आयोग, डॉ. जी.पी. सामंता, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का विशेष रूप से आभारी है, जिनकी आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के साथ लगातार बातचीत और सुझाव एनएससी के लिए इसकी सिफ़ारिशों को प्रतिपादित करने में बहुत सार्थक रहे हैं।

आयोग, सुश्री वंदना मारवाह, उप महानिदेशक के अतिरिक्त एनएससी सचिवालय में अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करता है जिनके विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय और निरंतर अनुवर्ती योगदान ने एनएससी के मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता की है।

K M Pandya
(डॉ. किरन पांड्या)

P Ghosh
(श्री पुलक घोष)

(श्री अमिताभ कांत)

Bimal Roy
(प्रो. बिमल कुमार रॉय)

विषय-सूची

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	संकेताक्षरों की सूची	1-2
	कार्यकारी सारांश	3-6
1	प्रस्तावना	7-12
2	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा	13-24
3	अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा	25-27
	अनुलग्नक	
अनुलग्नक I	भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 05 नवंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 478	29-46
अनुलग्नक II	एनएससी के अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में अधिसूचना संख्या 465 दिनांक 10 मई 2006	47-57
अनुलग्नक III	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के लिए संशोधित सेवा शर्तें	59-62

संकेताक्षरों की सूची

एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एटीआर	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
आयुष	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
बीएनआई	बुनियादी आवश्यकताएं सूचकांक
सीएएमएस	व्यापक वार्षिक मोड्यूलर सर्वेक्षण
सीईए	मुख्य आर्थिक सलाहकार
सीएपीआई	कंप्यूटर समर्थित व्यक्तिगत साक्षात्कार
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
डीईएस	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय
डीजी	महानिदेशक
डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
डीक्यूएडी	डेटा गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग
ईसिग्मा	ई सर्वेक्षण उपकरण और सामान्यीकृत मल्टीमॉडल एप्लीकेशन
एफओडी	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
एफएसयू	प्रथम चरण इकाई
आईएसएस	भारतीय सांख्यिकीय सेवा
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीसीई	मासिक प्रति व्यक्ति व्यय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
नीति	नेशनल इंस्टीटूट फॉर ट्रांस्फार्मिंग इंडिया
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
एनएसएस	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
आरपीसी	ग्रामीण मूल्य संग्रहण
एससीडी	सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग
एसजे एंड ई	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एसडीआरडी	सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग
एसडीजी	सतत् विकास लक्ष्य
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रियाएं
एसपीसीएल	मूल्य और जीवन निर्वाह व्यय सांख्यिकी
टीएसी	तकनीकी सलाहकार समिति
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
डब्ल्यूजी	कार्यकारी समूह
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक

कार्यकारी सारांश

परिचय

1. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य के साथ 12 जुलाई 2006 से कार्य कर रहा है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) इस आयोग के सचिव हैं।

(पैरा -1.1 से 1.5)

2. एनएससी का 13-सूत्री अधिकार- पत्र है । इसके अलावा, एनएसएसओ की शासी परिषद् (गवर्निंग काउंसिल) के कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को सौंपे गए थे। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित किए गए सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

(पैरा- 1.6 से 1.8)

3. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पांच बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में, आयोग ने इसके अधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों पर और इसे सौंपे गए कार्यों पर विचार-विमर्श किया।

(पैरा -1.9 से 1.13)

4. एनएससी की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय संसद द्वारा दत्तमत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत मांग से पूरा किया जा रहा है।

(पैरा- 1.14 से 1.15)

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

5. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग तत्कालीन एनएसएसओ के शासी परिषद् के कार्य करता रहा है। इसके कार्यों में प्रत्येक एनएसएस दौर में कवरेज के विषयों का निर्णय लेना, कार्यप्रणाली बनाना और आंकड़ों के विधायन की निगरानी करना और एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टों/इकाई स्तरीय आंकड़ो को जारी करना शामिल है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान एनएसएस ने ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि और पशुधन धृतियों का मूल्यांकन, 2019 तथा 77वें दौर पर अखिल भारत ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण- 2019 पर रिपोर्ट तथा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 जारी की। इन सबके अतिरिक्त, जुलाई, 2019 – जून, 2020 की अवधि

के लिए पीएलएफएस के अतिरिक्त संकेतक पर वार्षिक बुलेटिन और जुलाई-सितंबर, 2020, अक्टूबर-दिसंबर, 2020, जनवरी-मार्च, 2021, अप्रैल-जून, 2021और जुलाई-सितंबर, 2021 के लिए तिमाही बुलेटिन भी जारी किए गए।

(पैरा 2.1 से 2.3)

6. आयोग ने निर्णय लिया है कि सभी एनएसएस रिपोर्टों को जारी करने के लिए, रिपोर्ट को संबंधित कार्यकारी समूह/समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और फिर तीन दिनों के भीतर एनएससी के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए पासवर्ड संरक्षित प्रारूप में परिचालित किया जाएगा । यदि रिपोर्ट में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है तो इसे तुरंत जारी किया जाएगा।

(पैरा -2.4 से 2.5)

7. मुख्य आर्थिक सलाहकार ने व्यापक और बेहतर समय पर श्रम बाज़ार डेटा, थाली सूचकांक और बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (बीएनआई) डेटा की आवश्यकता पर एक व्याख्यान दिया तथा पीएलएफएस डेटा के समयांतराल पर जोर दिया जिसने नीति-निर्माण के दायरे को सीमित कर दिया। हालांकि, उन्होंने पीएलएफएस डेटा की गुणवत्ता की सराहना की। आयोग ने सहमति वयक्त की है कि वर्तमान में पीएलएफएस के परिणामों को जारी करने के अत्यधिक अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रयासों की आवश्यकता है। आयोग ने सलाह दी है कि सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा महानिदेशक (एनएसएस) को इस पहलू पर सुधार लाने के लिए प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।

(पैरा 2.6 से 2.11)

8. एनएसओ (एसडीआरडी) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के समयांतराल को कम करने के लिए आयोग के समक्ष व्याख्यान दिए और बताया कि एक पूर्णतः स्थिर सीएपीआई-ईसिग्मा प्लेटफार्म को विकसित किया जा रहा है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, आयोग ने नए प्लेटफार्म के चरण वार अपेक्षित समयसीमा के बारे में पूछा तथा एनएसओ (डीक्यूएडी) को नए प्लेटफार्म में आ रही सभी कठिनाइयों को संक्षेप में एनएससी के समक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी।

(पैरा – 2.12 से 2.14)

9. श्रृंखला आधारित सूचकांक को विकसित करने के लिए उपभोग बास्केट पर सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण उपकरणों और प्रतिदर्श डिजाईन को चर्चा के बाद, आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

(पैरा-2.15 से 2.17)

10. एनएसओ (एसडीआरडी) ने श्रृंखला आधारित सूचकांक तैयार करने के लिए उपभोग बास्केट सर्वेक्षण पर आयोग के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया। विचार-विमर्श के दौरान, आयोग ने क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक, एनएसएस दौर के

साथ डेटा की तुलनीयता, एमपीसीई आंकलनों की उपयोगिता और सर्वेक्षण जारी करने की संबंधित तिथि से संबंधित कुछ बिन्दुओं को उठाया। महानिदेशक, एनएसएस ने क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक को साझा किया।

नीति आयोग के शीर्ष गणना अनुपात के कार्य के संबंध में, यह सूचित किया गया था कि यह कार्य वर्तमान में पूरा नहीं किया जा रहा है और नीति आयोग बहु-आयामी गरीबी सूचकांक के अभिकलन पर स्विच हो गया है, जिसके लिए एमपीसीई आंकलन की आवश्यकता नहीं है। श्री अभिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग, ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष गणना अनुपात पर स्विच ओवर के लिए कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है और बहु-आयामी गरीबी सूचकांक पर अध्ययन यूएनडीपी के साथ एसडीजी के लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में पूरा किया जा रहा है।

विचार-विमर्श के उपरांत, आयोग ने जुलाई, 2022- जून, 2023 तक श्रृंखला आधारित सूचकांक तैयार करने हेतु उपभोग बास्केट पर सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र कार्य की तिथि जारी करने का अनुमोदन दिया है बशर्ते एनएसओ के कार्मिक नीति आयोग के संबंधित प्रभाग के साथ गरीबी के आंकलनों को समेकित करने के लिए एमपीसीई/पारिवारिक उपभोक्ता व्यय पर प्रस्तावित सर्वेक्षण डेटा की उपयोगिता पर विचार-विमर्श करेंगे और उसके बाद जुलाई 2022 में सर्वेक्षण शुरू करने से पहले संशोधित कार्यप्रणाली को अनुमोदन के लिए एनएससी के समक्ष लाएंगे।

(पैरा 2.18 से 2.27)

11. एनएसएस ने मंत्रालयों के साथ प्रगति और विचार-विमर्श तथा एनएसएस के 79वें दौर के सर्वेक्षण योजना में सुझाए गए अनुवर्ती आशोधन के बारे में आयोग को अवगत कराया। आयोग ने प्रगति पर ध्यान दिया और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया तथा यह भी इच्छा व्यक्त की कि प्रथम उप-दौर का डेटा एनएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(पैरा 2.28 से 2.31)

12. उप-महानिदेशक, एनएसओ (एसडीआरडी) ने, एनएसएस 79वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा अनुमोदित सीएएमएस और आयुष की अनुसूची को एनएससी के समक्ष प्रस्तुत किया था। विचार-विमर्श के बाद, एनएससी द्वारा सीएएमएस और आयुष दोनों के अनुसूचियों को मंजूरी दे दी गई है।

(पैरा- 2.32 से 2.39)

13. एमएसएमई के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिंक्ड सुविधाओं पर सर्वेक्षण - आयोग को अवगत कराया गया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिंक सुविधाओं पर सर्वेक्षण के संचालन के लिए एनएसएस के साथ कोई और आवश्यक संचार नहीं किया है। इसलिए आयोग के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, सर्वेक्षण को हटा दिया गया।

(पैरा - 2.40 से 2.42)

अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

14. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष के वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 में संशोधन पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के समक्ष एक व्याख्यान प्रस्तुत किया। कुछ अवलोकनों सहित आधार वर्ष 2017-18 के साथ डब्ल्यूपीआई की प्रस्तावित नई श्रृंखलाओं और कार्यप्रणाली को एनएससी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(पैरा 3.1 से 3.4)

अध्याय-1
प्रस्तावना

वर्तमान रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग की गतिविधियों से संबंधित है तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की 16वीं वार्षिक रिपोर्ट है। इस परिचयात्मक अध्याय में, आयोग की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, आयोग के गठन में बदलाव तथा वर्ष के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित गतिविधियां सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की स्थापना

1.1 भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की स्थापना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III खंड -4 में प्रकाशित दिनांक 1 जून 2005 की अधिसूचना संख्या 85 के द्वारा की थी जिसमें बाद में इसके साथ पठित दिनांक 05 नवम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 478 द्वारा संशोधन किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार, आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य और नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) इसके पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। दोनों अधिसूचनाएं **अनुलग्नक- I** पर दी गई हैं।

1.2 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) एनएससी के सचिव हैं। उनकी दोहरी भूमिका है, क्योंकि वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) में भारत सरकार के सचिव भी हैं। एनएससी को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने में सीएसआई का सहयोग करने के लिए, एक लघु सचिवालय है जिसमें एक उप महानिदेशक और एक उपनिदेशक के साथ अन्य सहायक स्टाफ उपलब्ध करवाए गए हैं।

1.3 एनएससी और सीएसआई के अंशकालिक अध्यक्ष / सदस्यों की सेवा शर्तों को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 465 दिनांक 10 मई 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II-खंड-3-उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया है। **अनुलग्नक- II**। भारत के राजपत्र असाधारण भाग III खंड -4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 69 दिनांक 22 फरवरी 2018 के माध्यम से सीएसआई की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है। अधिसूचनाएं **अनुलग्नक-III** पर हैं।

आयोग का गठन

1.4 समय-समय पर ,उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अनुसार,गठित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग 12 जुलाई 2006 से काम कर रहा है। एनएससी के अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएससी में पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं:

प्रो॰ बिमल कुमार रॉय	-अध्यक्ष	(15.07.2019 से)
डॉ.किरण पाण्डया	- सदस्य	(15.07.2019 से)
श्री पुलक घोष	-सदस्य	(15.07.2019 से)
डॉ. जी.सी. मन्ना	-सदस्य	(15.07.2019 से 14.03.2022)
श्री अमिताभ कान्त	- पदेन सदस्य	

1.5 डॉ. जी.पी. सामंता, **भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्** और 16 अप्रैल, 2021 से रिपोर्ट के तहत पूरी अवधि के लिए आयोग के सचिव हैं।

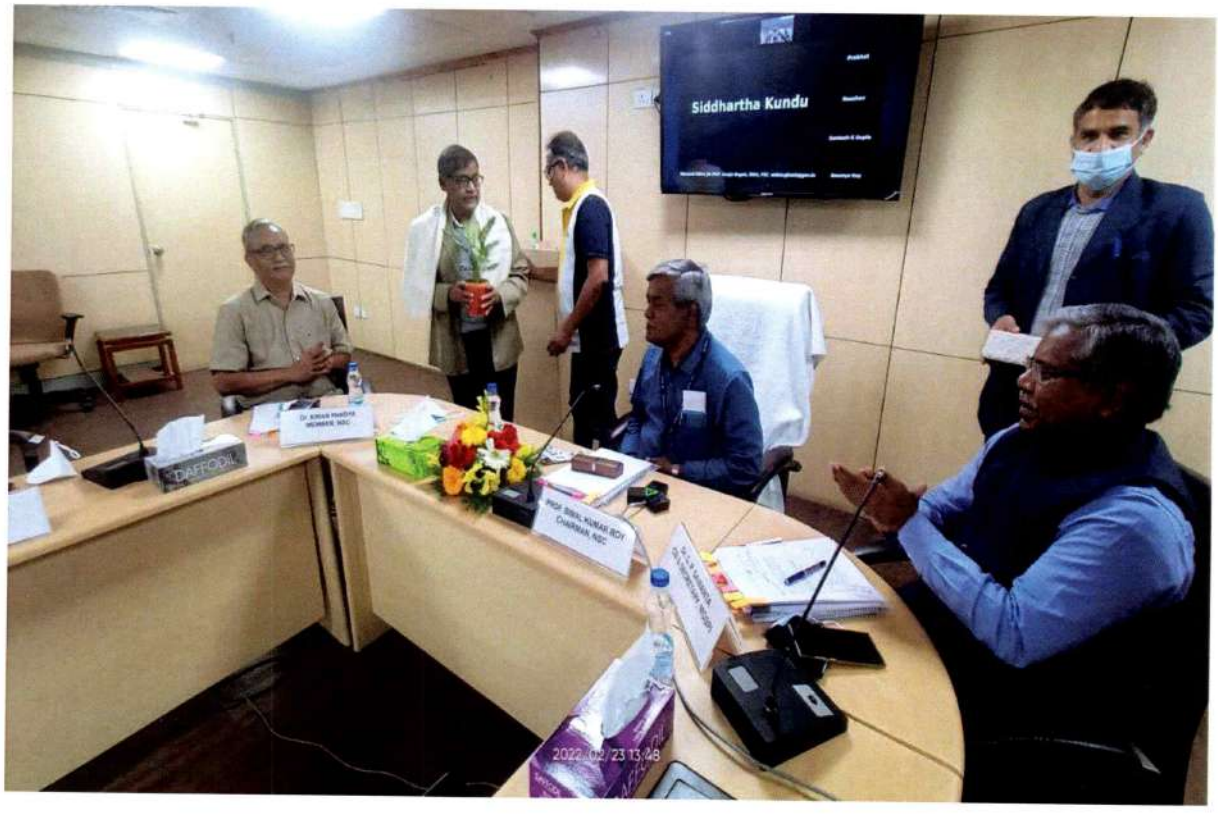

*एनएससी की 122वीं बैठक 23 फरवरी 2022 को **सांख्यिकी** भवन में हुई (बाएं से: डॉ किरण पंड्या, डॉ जी सी मन्ना, प्रो पुलक घोष, प्रो बीके रॉय (बैठे) और डॉ जी पी सामंता (बैठे))*

आयोग के दायित्व

1.6 भारत सरकार के दिनांक 05 नवम्बर, 2019 के संकल्प के तहत एनएससी को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं,

-

(क) ऐसे सारभूत आंकड़ों की पहचान करना जो राष्ट्रीय महत्व के हों और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अहम हों;

(ख) विभिन्न तकनीकी विषयों पर आयोग की सहायता के लिए व्यावसायिक समितियों या कार्य समूहों का गठन करना;

(ग) सांख्यिकीय पद्धति से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां और प्राथमिकताएं विकसित करना;

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और रीतियों का विकास करना तथा सारभूत आंकड़ों पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का निर्धारण करना;

(ड.) विभिन्न आंकड़ा समूहों के लिए रिलीज कैलेंडर सहित, सारभूत आंकड़ों के संग्रह, सारणीयन और प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करना;

(च) सांख्यिकीय पद्धति की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित आधिकारिक सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना;

(छ) आधिकारिक सांख्यिकी पर सार्वजनिक विश्वास में सुधार हेतु उपायों का विकास करना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करने सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय के उपायों का विकास करना;

(झ) केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय का प्रयोग करना;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय गतिविधियों पर सांख्यिकीय लेखा परीक्षा करना;

(ट) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, को खंड (ग) से (ज) के तहत विकसित मानकों, रणनीतियों और अन्य उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु उपायों की सिफारिश करना;

(ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के लिए विधान सहित, सांख्यिकीय मामलों पर विधायी उपायों की आवश्यकता पर सरकार को सलाह देना; तथा

(ड) निर्धारित की गई नीतियों, मानकों और रीतियों के आलोक में सांख्यिकीय पद्धति की कार्यप्रणाली की निगरानी तथा समीक्षा करना और बेहतर निष्पादन के लिए उपाय सुझाना।

1.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 अगस्त 2006 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की शासी परिषद् के सभी कार्य 30 अगस्त 2006 से एनएससी को सौंप दिए गए थे। ये कार्य मुख्य रूप से एनएसएसओ और राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) के माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों (एनएसएस) के संचालन की निगरानी से संबंधित हैं जिनके लिए दौर होते हैं और आमतौर पर प्रत्येक दौर एक वर्ष की अवधि या छह माह की अवधि का होता है जो कृषि वर्ष के साथ-साथ चलता है। 68वें एनएसएस दौर से आगे, एनएससी ने अपने द्वारा तय किए गए विषयों पर इस तरह से कार्य समूहों का गठन किया है, जिससे ये कार्य समूह प्रत्येक दौर के लिए सर्वेक्षण गतिविधियों की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने में एनएससी की सहायता करने में समर्थ हो सकेंगे।

1.8 एनएससी को केंद्रीय सरकार में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के संबंध में कतिपय निरीक्षण कार्य भी सौंपे गए हैं। इस प्रयोजन के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड -4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 232 दिनांक 5 दिसंबर, 2011 को दिशानिर्देश अधिसूचित किए जिसमें केन्द्र में संबंधित मंत्रालयों को किसी भी सांख्यिकीय सर्वेक्षण के संचालन के लिए एनएससी की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सहमति के अलावा, दिशानिर्देशों में एनएससी की निगरानी में विभिन्न सर्वेक्षण करने और एनएससी के परामर्श से सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए, एनएससी को रीतियों आदि की तैयारी हेतु समितियों का गठन करने के लिए विशेषज्ञों के नामों की सिफारिश करने का प्रावधान है।

आयोग की कार्यप्रणाली

1.9 आयोग ने वर्ष 2021-22 के दौरान पाँच बैठकें आयोजित की। ये बैठकें हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी जो वास्तविक और आभासी भागीदारी का संयोजन था। बैठकों की तारीखें नीचे दर्शायी गई हैं-

बैठक सं.	बैठक की तारीख
118	14 जुलाई, 2021
119	7 सितंबर, 2021
120	9 नवंबर, 2021
121	25 जनवरी, 2022
122	23 फरवरी, 2022

1.10 इन बैठकों में, आयोग ने संदर्भित मुद्दों पर और अपने दायित्व के अंतर्गत आने वाले विषयों पर विचार-विमर्श किया। संबंधित क्षेत्रों में सांख्यिकीय पद्धति में सुधार लाने की दृष्टि से, आयोग ने शिक्षाविदों, संबंधित विषयों के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा विस्तृत चर्चा भी की। आयोग की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त अभिलेखबद्ध किए गए और इन्हें एनएससी के सभी सदस्यों में परिचालित किया गया था तथा एनएससी की उत्तरवर्ती बैठक में चर्चा के उपरांत उनकी पुष्टि की गई थी। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें,जब कभी की गई, यथोचित कार्रवाई के लिए संबंधित सरकारी विभागों/कार्यालयों को भेजी गई थी।

1.11 श्री पुलक घोष, सदस्य, एनएससी ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा संबंधी एनालिटिक्स के उपयोग और आईएसएस अधिकारियों के प्रासंगिक प्रशिक्षण के लिए खाका प्रस्तुत किया। प्रस्तुति मुख्य रूप से बिग-डेटा के महत्व और इसकी सीमाओं के साथ-साथ इसे संभालने के लिए विभिन्न चरणों में हमारे अधिकारियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, इस पर केंद्रित थी। आयोग ने प्रस्तुति देने में प्रो. पुलक घोष द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एक खाका विकसित करने की सलाह दी कि कैसे निकट भविष्य में इन इनपुट को संकल्पित और साकार किया जाएगा।

1.12 वर्ष 2020-2021 तक की पिछले वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों को ,की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

1.13 आगे के अध्यायों में, वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियों और उसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों को व्यापक तकनीकी बारीकियों से बचते हुए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें, **अध्याय-2** में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की सांख्यिकीय गतिविधियों की एनएससी द्वारा समीक्षाएं तथा की गई सिफारिशें शामिल हैं।अन्य केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा और उन पर एनएससी की संस्तुतियों का ब्यौरा आगे **अध्याय-3** में दिया गया है।

आयोग का व्यय

1.14 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय, जिसमें वेतन, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं और आयोग की दैनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए व्यय शामिल है, की पूर्ति संसद द्वारा दतमत्त सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन मांग से की जा रही है।

1.15 वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राजस्व अनुभाग के तहत एनएससी के लिए 137.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया था। यह सूचित किया गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान 70.35 लाख रु. का व्यय उपगत किया गया।

एनएससी की 122वीं बैठक 23 फरवरी 2022 को सांख्यिकी भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

अध्याय -2

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

एनएससी को अन्य बातों के साथ-साथ, आधिकारिक सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण और नीतियां तैयार करने, निर्धारित नीतियों, मानकों तथा नीतियों के आलोक में सांख्यिकीय पद्धति की कार्यप्रणाली की निगरानी तथा समीक्षा करने और बेहतर रूप से कार्य निष्पादन के लिए उपायों का सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया है।

2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की तत्कालीन शासी परिषद् के कार्यों का निष्पादन कर रहा है। इन कार्यों में प्रत्येक एनएसएस दौर में कवरेज के लिए विषयों का निर्धारण, कार्यप्रणाली का सूत्रीकरण, और डाटा प्रसंस्करण का अवलोकन के साथ-साथ एनएसएस द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट / इकाई स्तरीय आंकड़ों को जारी करना शामिल है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने इन कार्यों का निष्पादन करने में सहायता करने के लिए समय-समय पर कार्यकारी समूह का गठन किया है।

2.2 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत है, की कुछ सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा की। इन समीक्षाओं और अनुशंसाओं के ब्यौरे निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं: -

2.3 एनएसएस रिपोर्टों को जारी करना

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएसओ (एनएसएस) ने निम्नलिखित रिपोर्ट जारी की थी:

1. रिपोर्ट संख्या 587 : (ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि तथा पशुधन धृतियों का मूल्यांकन, 2019) प्रकाशित किया गया है।
2. रिपोर्ट संख्या 588 : अखिल भारत ऋण और निवेश सर्वेक्षण-2019 प्रकाशित किया गया है।
3. पीएलएफएस ,वार्षिक रिपोर्ट,2019-2020 प्रकाशित की जा चुकी है।
4. अप्रैल-जून,2021,जुलाई- सितंबर,2021 और अक्टूबर- दिसंबर 2021 की तिमाहियों के लिए आरपीसी बुलेटिन प्रकाशित किए गए हैं।
6. जुलाई- सितंबर, 2020, अक्टूबर- दिसंबर, 2020, जनवरी- मार्च, 2021,अप्रैल-जून, 2021 और जुलाई-सितंबर,2021 तिमाहियों के लिए पीएलएफएस तिमाही बुलेटिन जारी किए गए।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2019-20 के परिणामों पर जारी किए जाने से पूर्व प्रस्तुतिकरण

2.4 डीडीजी, एनएसओ (एसडीआरडी) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2019-20 के परिणामों को जारी किए जाने से पूर्व उन पर एक प्रस्तुति दी। आयोग ने भविष्य में जारी की जाने वाली सभी एनएसएस रिपोर्टों के संबंध में निर्णय लिया था कि रिपोर्टें संबंधित कार्य समूह/समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तत्पश्चात रिपोर्ट का प्रतिरूप सभी एनएससी सदस्यों को पासवर्ड संरक्षित प्रारूप में परिचालित किया जाएगा। फिर एनएससी सदस्य 3 दिनों के भीतर टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रदान करेंगे। यदि रिपोर्ट में किसी और संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो रिपोर्ट तुरंत जारी की जाएगी।

2.5 उपरोक्त सिफारिशों को दिनांक 30 जुलाई ,2021 की पत्राचार संख्या 17 (1) (118)/NSC/2021 के माध्यम से एनएसओ (एनएसएस) को अग्रेषित किया गया था।

{कार्रवाई: एनएसओ (एनएसएस)}

व्यापक और बेहतर सामयिक श्रम बाजार डेटा, थाली सूचकांक और बीएनआई की आवश्यकता पर प्रस्तुति

2.6 डॉ. के वी सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने व्यापक और बेहतर सामयिक श्रम बाजार डेटा, थाली इंडेक्स और बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (बीएनआई) की आवश्यकता पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

(क) इस बात पर जोर दिया गया था कि पीएलएफएस, श्रम बाजार डेटा का मुख्य स्रोत है लेकिन पीएलएफएस डेटा की आवृत्ति 8-12 महीने के अंतराल पर होती है, जिसने आकंडों का उपयोग करके नीति निर्माण करने की संभावना सीमित कर दी।

(ख) पीएलएफएस डेटा की आवृत्ति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य विकसित देशों के साथ प्रस्तुत की गयी थी। पीएलएफएस आंकड़ों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इस बात पर जोर दिया कि डेटा जारी करने के समय अंतराल में सुधार की गुंजाइश है।

2.7 श्री पुलक घोष, सदस्य, एनएससी ने सुझाव दिया कि पीएलएफएस डेटा में देरी के कारणों का पता लगाने की जरूरत है। वैकल्पिक डेटा स्रोत जैसे कि बैंक में वेतन खातों की संख्या या पेटीएम और गूगल पे जैसे निजी संगठनों से जानकारी का भी पता लगाया जा सकता है।

2.8 डॉ जी सी मन्ना, सदस्य, एनएससी ने यह सुझाव भी दिया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एक महीने के भीतर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए और बाद में इसे वार्षिक रिपोर्ट में संशोधित किया जा सकता है।

2.9 सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि पीएलएफएस एक नया वार्षिक सर्वेक्षण है, और इसकी गुणवत्ता सामान्यत: अच्छी मानी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अतिरिक्त श्रम बाजार संकेतक तैयार करने या मौजूदा संकेतकों की आवृत्ति बढ़ाने जैसी कोई नई गतिविधि शुरू करने के बजाय क्षेत्रीय कार्य के पूरा होने और तिमाही परिणाम जारी करने के बीच के समय के अंतराल को कम करने पर काम करे, और इस प्रक्रिया को मजबूत और स्थिर करे।

2.10 अध्यक्ष, एनएससी ने सहमति व्यक्त की कि वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अपने प्रयासों को पीएलएफएस परिणाम जारी करने में लगे अत्यधिक समय अंतराल को कम करने पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और महा निदेशक (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण) को इस पहलू पर सुधार लाने के लिए प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।

2.11 उपरोक्त सिफारिशों को दिनांक 30 जुलाई , 2021 के पत्राचार संख्या 17(1)(118)/एन एस सी /2021 के माध्यम से एनएसओ (एनएसएस) को अग्रेषित किया गया था।

{कार्रवाई: एनएसओ (एनएसएस)}

पीएलएफएस डेटा समय पर जारी करने पर चर्चा

2.12 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के समय अंतराल में कमी को उप महानिदेशक, एन एस ओ (एसडीआरडी)) द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

i. पीएलएफएस के परिणाम जारी करने में समय की देरी

ii. समयबद्धता में सुधार के लिए उठाये गए कदम

- सर्वेक्षण प्रक्रिया में ऐसे चरणों की पहचान जिसके परिणामस्वरूप देरी हो रही है
- मानक संचालन प्रक्रियाओं की तैयारी (एसओपी)
- आउटसोर्स फील्ड स्टाफ को गहन प्रशिक्षण
- सीएपीआई के माध्यम से डेटा कैप्चरिंग
- पीएलएफएस परिणामों को जारी करना

iii. एनएसओ अब डिजिटल प्रारूप में आकंड़ों के ऑनलाइन संग्रह और आकंड़ों का तेजी से सत्यापन और प्रसंस्करण की सुविधा के लिए एक एप्लिकेशन विकसित कर रहा है। एक पूर्ण विकसित स्थिर सीएपीआई- ई सिग्मा प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है।

iv. नए सीएपीआई- ई सिग्मा डेटा संग्रह सॉफ़्टवेयर को क्षेत्र अधिकारियों द्वारा पहली विजिट Q1- पैनल III (जुलाई-सितंबर 2021) का प्रचार करने के लिए 15 सितंबर 2021 से लाइव परीक्षण उपयोग के लिए रखा गया है।

v. सीएपीआई में डेटा कैप्चरिंग के विभिन्न स्तरों पर अंतर्निर्मित डेटा सत्यापन यह सुनिश्चित करेगा कि पोस्ट-फील्ड कार्य डेटा क्लीनिंग का समय कम किया गया है।

2.13 गहन विचार-विमर्श के बाद, सीएसआई और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर जोर दिया। आयोग ने नए प्लेटफॉर्म की चरण-वार अपेक्षित समय-सीमा की मांग की और एनएसओ (डीक्यूएडी) को नए प्लेटफॉर्म में देखी गई सभी गड़बड़ियों को संक्षेप में बताने और एनएससी के समक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

2.14 उपरोक्त सिफारिशें दिनांक 29 नवंबर, 2021 के पत्राचार संख्या 17(1)(1 20)/एनएससी/2021 के माध्यम से एनएसओ (एनएसएस) को अग्रेषित की गयी थी।

{कार्रवाई: एनएसओ (एनएसएस)}

श्रृंखला-आधार सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग टोकरी पर सर्वेक्षण

2.15 डीडीजी, एनएसओ (एसडीआरडी) ने श्रृंखला आधार सूचकांकों के विकास उपभोग टोकरी के संबंध में सर्वेक्षण पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

I. घरेलू उपभोक्ता व्यय पर सर्वेक्षण का नाम बदलकर "श्रृंखला आधार सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग टोकरी पर सर्वेक्षण" कर दिया गया।

II. एनएसएस के चालू सर्वेक्षणों में अपनाई जाने वाली प्रणालियों के अनुसार, सूचना एकत्र करने के लिए प्रश्नावली पद्धति अपनाने का प्रस्ताव है।

III. एनएससी की सिफारिशों के मद्देनजर इस बात की पुष्टि के साथ कि उत्तरों को भरने के लिए लिया गया समय 45 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भोजन और गैर -खाद्य की संपूर्ण टोकरी को तीन व्यापक समूहों विभाजित करने और अलग-अलग प्रश्नावलियों का प्रस्ताव किया गया था नामतः,

क प्रश्नावली एफडीक्यू : खाद्य-पदार्थ

ख प्रश्नावली सीएसक्यू : उपभोज्य और सेवाएँ मद

ग प्रश्नावली डीजीक्यू: टिकाऊ वस्तुएं

IV. घरेलू विशेषताओं और जनसांख्यिकीय विवरण के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए नमूना परिवारों की एक और प्रश्नावली, एचसीक्यू तैयार की गई है।

V. तीन प्रश्नावलियों का तीन अलग-अलग मासिक यात्राओं के माध्यम से चयनित परिवारों में यादृच्छिक रूप से प्रचार किया जाएगा।

VI. प्रश्नावली एचसीक्यू की जानकारी केवल पहली यात्रा के दौरान ही एकत्र की जाएगी। हालांकि, परिवार के घटकों में परिवर्तन परिवार की बाद की यात्रा में दर्ज किया जाएगा। प्रशनावली एचसीक्यू में, सब्सिडी, ऑनलाइन खरीद/भुगतान पर भी कुछ बुनियादी जानकारी एकत्रित की जाएगी।

VII. उपभोग में मौजूदा प्रवृत्ति को देखते हुए प्रश्नावलियों में कुछ नई मदें जोड़ी गई।

2.16 श्रृंखला-आधार सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग टोकरी पर सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण उपकरण और नमूना डिजाइन पर आयोग द्वारा पर चर्चा की गयी और उसे अनुमोदित किया गया।

2.17 उपरोक्त सिफारिशें दिनांक 30 जुलाई , 2021 के पत्राचार संख्या 17(1)(118)/NSC/2021 के माध्यम से एनएसओ (एनएसएस) को अग्रेषित की गयी थी।

{कार्रवाई: एनएसओ (एनएसएस)}

श्रृंखला-आधार सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग टोकरी पर सर्वेक्षण का प्रारंभ

2.18 उप महानिदेशक (एसडीआरडी), एनएसओ ने श्रृंखला-आधार सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग टोकरी संबंधी सर्वेक्षण पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

क. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रो. प्रणब सेन, कार्यक्रम निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र , नई दिल्ली की अध्यक्षता में इस विषय पर एक कार्यकारी समूह (डब्ल्यू जी) का गठन किया।

ख. कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर 17-27 मार्च 2020 के दौरान एक पायलट अध्ययन किया गया।

ग. आगामी सर्वेक्षण के लिए कार्यप्रणाली और सर्वेक्षण उपकरणों के अंगीकरण को डब्ल्यूजी के सदस्यों द्वारा 23 जून 2020 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में अनुमोदित किया गया था।

घ. आयोग ने 14 जुलाई 2021 को आयोजित अपनी 118वीं बैठक में सर्वेक्षण उपकरणों और नमूना डिजाइन पर चर्चा की और उन्हें अनुमोदित किया।

ङ. वैश्विक महामारी कोविड -19 के उत्पन्न होने के कारण कई सर्वेक्षणों के साथ-साथ, क्षेत्र कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

च. चूंकि इस विशेष सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग कई अन्य मैक्रो-इकोनॉमिक संकेतकों के आधार संशोधन के साथ-साथ मूल्य सूचकांकों की खपत के लिए भार आरेख के संशोधन के लिए किया जाना है , यह अनिवार्य है कि सर्वेक्षण संदर्भ अवधि और प्रचार अवधि दोनों सामान्य हो।

छ. श्रंखला आधारित सूचकांकों के विकास के लिए खपत टोकरी पर सर्वेक्षण हेतु क्षेत्रीय कार्य शुरू करने के लिए संभावित समयसीमा हेतु एनएससी का मार्गदर्शन मांगा गया था।

2.19 एजेंडे पर चर्चा के दौरान , एनएससी के सदस्य डॉ जी सी मन्ना ने निम्नलिखित बिंदु उठाए:

क. पायलट के दौरान क्रमिक दौरों में क्षेत्रीय कार्य का फीडबैक और अनुवर्ती दौरों में डेटा प्रदान करने में असहयोग / मना करने के कारण आंशिक प्रतिक्रिया के मामले में घरेलू स्तर के डेटा को समायोजित करने के लिए मुख्य सर्वेक्षण में की जाने वाली कार्रवाई।

ख. प्रत्येक दौरे में प्रचार के समय को कम करने के लिए अनुसूची को 3 भागों और 3 दौरों में विभाजित करने की प्रस्तावित पद्धति के अलावा, प्रत्येक गांव / ब्लॉक में परिवारों के एक स्वतंत्र नमूने में पूरे कार्यक्रम का प्रचार किये बिना पहले के एनएसएस दौर के साथ डेटा की तुलना।

ग. एमपीसीई अनुमानों का उपयोग जब तक कि पूर्ण अनुसूची को भी परिवारों के एक स्वतंत्र नमूने में प्रचारित नहीं किया जाता है ताकि गरीबी के अनुमानों की अतीत के साथ तुलना की जा सके।

घ. सर्वेक्षण शुरू करने के संबंध में, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सर्वेक्षण को अनिश्चित काल के लिए विलंबित नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य को देखते हुए कि वायरस का प्रसार होगा और जैसा कि घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएस के पहले के दौर आमतौर पर जुलाई-जून से आयोजित किए जाते हैं, इसलिए जुलाई 2022 से इस सर्वेक्षण को शुरू करना समझदारी होगी।

2.20 डीजी, एनएसएस ने बताया कि पायलट के दौरान प्रत्येक 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में, केवल कुछ ही घरों (2-3)

का दौरा किया गया था, इसलिए घरों से इनकार का सामना नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि प्रचार का समय और प्रतिवादी का बोझ कम होता जा रहा था।

2.21 नीति आयोग द्वारा शीर्ष गणना अनुपात के अभ्यास के संबंध में, यह सूचित किया गया था कि इसे वर्तमान में नहीं किया जा रहा है और नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना पर स्विच कर दिया है जिसके लिए एमपीसीई अनुमानों की आवश्यकता नहीं है।

2.22 श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग ने स्पष्ट किया कि शीर्ष गणना अनुपात पर स्विच करने पर कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है और एसडीजी की उपलब्धि के हिस्से के रूप में यूएनडीपी के साथ बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अध्ययन किया जा रहा है।

2.23 डीडीजी (एसडीआरडी) ने सूचित किया कि बाद के दौरों में लापता परिवारों के मुद्दे को कार्य समूह के सामने रखा गया था, यह सुझाव दिया गया था कि उन परिवारों की जानकारी के आधार पर जिन्होंने खाद्य, गैर-खाद्य और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए रिपोर्ट की थी, उन्हें तीन अलग-अलग घरों के सेट के रूप में माना जा सकता है। चूंकि राज्य स्तर के अनुमान तैयार किए जाएंगे, इसलिए इन 3 अलग-अलग सेटों पर विचार करते हुए, उन घरों से भोजन के लिए एमपीसीई की गणना, जिन्होंने भोजन की खपत की सूचना दी थी, इसी तरह, सेवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के लिए एमपीसीई की गणना और टिकाऊ वस्तुओं पर सूचना देने वाले परिवारों के दूसरे समूह पर एमपीसीई की गणना की जा सकती है। इन तीनों आंकड़ों को सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर तय किए जाने के लिए उपयुक्त भार देकर जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, इन परिवारों का प्रतिच्छेदन राज्य स्तर पर एमपीसीई की गणना के लिए प्रश्नावली का एक पूरा सेट देगा जो पिछले सर्वेक्षणों के साथ तुलना के मुद्दे को संबोधित करेगा जिसमें पूर्ण अनुसूची का प्रचार किया गया था।

2.24 सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सुझाव दिया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारी चर्चा में चिह्नित मुद्दों पर एक स्थिति रिपोर्ट ला सकते हैं।

2.25 सीईओ, नीति आयोग ने सुझाव दिया कि वह उस टीम जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर काम कर रही है, को सलाह देंगे कि आयोग के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण करे और उन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करना चाहिए।

2.26 विचार-विमर्श के बाद, आयोग ने जुलाई 2022-जून 2023 से चेन आधारित सूचकांक के विकास के लिए खपत बास्केट पर सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र कार्य के शुभारंभ की तिथि को मंजूरी दे दी, बशर्ते एनएसओ अधिकारी गरीबी अनुमानों के संकलन के लिए एमपीसीई / घरेलू उपभोक्ता व्यय पर प्रस्तावित सर्वेक्षण डेटा की उपयोगिता पर नीति आयोग के संबंधित प्रभाग के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद जुलाई 2022 में सर्वेक्षण शुरू करने से पहले संशोधित कार्यप्रणाली को अनुमोदन के लिए एनएससी के समक्ष लाएंगे।

2.27 उपर्युक्त सिफारिशें एनएसओ (एनएसएस) को दिनांक 14 फरवरी, 2022 के पत्राचार संख्या 17(1)(121)/एनएससी /2022 के माध्यम से अग्रेषित की गई थीं।

{कार्रवाई: एनएसओ (एनएसएस)}

एनएसएस 79वें दौर की सर्वेक्षण योजना में मंत्रालयों के साथ विकास और चर्चाओं का मूल्यांकन और परिणामी संशोधन का सुझाव दिया गया

2.28 डीडीजी, एनएसओ (एसडीआरडी) ने मंत्रालयों के साथ हुए घटनाक्रमों और चर्चाओं और एनएसएस 79वें दौर की सर्वेक्षण योजना में सुझाए गए परिणामी संशोधन पर आयोग को अवगत कराने के लिए एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

I. अब तक कार्यसमूह की तीन बैठकें हो चुकी हैं।

II. पूर्व परीक्षण के लिए व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस) और आयुष सर्वेक्षण के लिए अनुसूचियां तैयार की गई हैं। एफएसयू द्वारा पूर्व परीक्षण लिया गया है।

III. चूंकि रेलवे मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) से प्राप्त आवश्यकताएं काफी आकार की हैं, इसलिए जैसा कि पहले परिकल्पित किया गया था, उन्हें सीएएमएस में शामिल नहीं किया जा सकता है।

IV. रेलवे मंत्रालय का एक अलग सर्वेक्षण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए स्वच्छता श्रमिकों पर एक पायलट सर्वेक्षण प्रस्तावित किया गया है और कार्य समूह में चर्चा की गई है।

V. सीएएमएस 12 महीने के लिए आयोजित किया जाएगा, जबकि आयुष सर्वेक्षण 6 महीने के लिए किया जाएगा।

VI. रेलवे मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार, यात्रा सर्वेक्षण केवल सामान्य संदर्भ अवधि (यात्रा के संदर्भ में) के दौरान ही किया जा सकता है. इसलिए, यात्रा सर्वेक्षण को एनएसएस के 79वें दौर के सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और बाद में उचित समय पर इसे लिया जा सकता है।

VII. जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवश्यक है, शहरी क्षेत्रों में केवल शहरी नगरपालिकाओं के साथ स्वच्छता श्रमिकों पर सर्वेक्षण किया जाना है। चूंकि सर्वेक्षण के लिए एक अलग अभिविन्यास की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अलग से लेने का प्रस्ताव है।

2.29 आयोग ने एनएसएस के 79वें दौर के घटनाक्रम पर ध्यान दिया और आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

2.30 विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, एनएससी ने चाहा कि सीएएमएस और आयुष पर 79वें दौर के सर्वेक्षण के लिए, पहले उप-दौर का डेटा एनएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

2.31 उपरोक्त सिफारिशों को दिनांक 30 जुलाई, 2021 के पत्राचार संख्या 17(1)(118)/ एनएससी /2021 और दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के 17(1)(119)/एनएससी /2021 के माध्यम से एनएसओ (एनएसएस) को अग्रेषित किया गया था।

{कार्रवाई: एनएसओ (एनएसएस)}

एनएसएस के 79वें दौर के सीएएमएस और आयुष सर्वेक्षण के सर्वेक्षण उपकरणों पर चर्चा

2.32 एनएसएस 79वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा अनुमोदित सीएएमएस और आयुष की अनुसूची को डीडीजी, एनएसओ (एसडीआरडी) द्वारा एनएससी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं

क. एनएससी को अवगत कराया गया कि 16.07.2021 को आयोजित चौथी डब्ल्यूजी बैठक में सीएएमएस और आयुष की अनुसूची को अंतिम रूप दिया गया है और डब्ल्यूजी ने एफओडी द्वारा अनुसूचियों के पूर्व परीक्षण की सिफारिश की है। सीएएमएस और आयुष अनुसूची का पूर्व परीक्षण एनएसओ (एफओडी) द्वारा जुलाई 2021 के दौरान 7 एफओडी क्षेत्रों में किया गया था। क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, दोनों अनुसूचियों में मामूली संशोधन किए गए थे।

ख. सीएएमएस और आयुष अनुसूचियों के सभी ब्लॉक और प्रतिदर्श डिजाइन भी विस्तार से प्रस्तुत किए गए और एनएससी को अवगत कराया गया कि सीएएमएस में कोई दूसरा चरण स्तरीकरण (एसएसएस) नहीं होगा जबकि आयुष पर सर्वेक्षण के लिए दो एसएसएस का गठन किया जाएगा।

ग. सीएएमएस एक साल का सर्वेक्षण होगा जबकि आयुष सर्वेक्षण 6 महीने की अवधि का होगा । सर्वेक्षण अवधि के पहले छह महीनों में, सीएएमएस और आयुष एक साथ संचालित किए जाएंगे और एक ही एफ़एसयू में किए जाएंगे और अंतिम 6 महीनों में केवल सीएएमएस सर्वेक्षण किया जाएगा।

2.33 विचार-विमर्श के बाद, एनएससी द्वारा सीएएमएस और आयुष दोनों की अनुसूची को मंजूरी दे दी गई है। सीएएमएस अनुसूची के मद संख्या 8, ब्लॉक 3.2 के मामले में, डॉ जी सी मन्ना ने पाया कि इंटरनेट के गैर-नियमित उपयोग पर मामले के लिए संबंधित प्रश्न/कोड संरचना को संशोधित किया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया कि डॉ. मन्ना के अवलोकन को समायोजित करने के लिए संबंधित प्रश्न/कोड संरचना को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

2.34 जैसा कि पूर्व-परीक्षण अध्ययन में पाया गया कि सीएएमएस अनुसूची का प्रचार समय अधिक है, एनएससी ने सीएएमएस को प्रचारित करने के लिए ब्लॉकों के यादृच्छिकरण को लागू करने की सिफारिश की ताकि प्रतिवादी थकान के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके।

2.35 सीएएमएस और आयुष दोनों के लिए प्रतिदर्श डिजाइन एनएससी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। डॉ जी सी मन्ना ने सीएएमएस और आयुष (सीएएमएस के लिए 1 वर्ष और आयुष के लिए 6 महीने) सर्वेक्षण के लिए अवधि के अंतर का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि आयुष सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण की अवधि को 6 महीने की प्रस्तावित अवधि से बढ़ाकर 12 महीने किया जा सकता है, ताकि विश्वसनीय राज्य स्तर के अनुमान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में नमूने लिए जा सकें। डीडीजी, एसडीआरडी ने बताया कि चूंकि आयुष सर्वेक्षण के लिए केवल अखिल भारतीय स्तर के अनुमान तैयार किए जाएंगे, इसलिए इस सर्वेक्षण के लिए 6 महीने की अवधि पर्याप्त होगी।

2.36 अध्यक्ष, एनएससी ने सुझाव दिया कि डीजी, एनएसएस, सचिव, आयुष से पुन: पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उन्हें केवल अखिल भारतीय अनुमान या राज्य स्तर के अनुमानों की भी आवश्यकता है। यदि उन्हें दोनों अनुमानों की आवश्यकता है, और एनएसएस 75 दौर स्वास्थ्य सर्वेक्षण के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कि केवल 5% आबादी आयुष का उपयोग कर रही है, तो आयुष सर्वेक्षण की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने की आवश्यकता हो सकती है।

2.37 एनएसएस ने प्रस्तावित किया कि सीएएमएस में कोई दूसरा चरण स्तरीकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सर्वेक्षण का उद्देश्य कई संकेतक उत्पन्न करना है और एक संकेतक के आधार पर स्तरीकरण का उपयोग वांछनीय नहीं हो सकता है। हालांकि, डॉ. जी.सी. मन्ना और डॉ. पुलक घोष ने कहा कि चूंकि घरेलू स्तर पर अस्पताल में भर्ती होने का मामला एक दुर्लभ घटना है, इसलिए सीएएमएस में घरेलू स्तर पर अस्पताल में भर्ती होने के मामलों पर आधारित एक उपयुक्त द्वितीय चरण स्तरीकरण रणनीति अपनाई जा सकती है।

2.38 अध्यक्ष, एनएससी ने पूछा कि क्या सर्वेक्षण के इस मोड़ पर सुझाया गया स्तरीकरण संभव है। डीजी, एनएसएस ने कहा कि सीएएमएस के लिए एसएसएस गठन जैसे परिवर्तनों को शामिल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सीएपीआई सॉफ्टवेयर का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और इस स्तर पर सॉफ्टवेयर में बदलाव से सर्वेक्षण शुरू होने में देरी हो सकती है, साथ ही सर्वेक्षण पर अतिरिक्त बोझ पड़ने से परिणाम समय पर जारी होने में देरी हो सकती है। अध्यक्ष ने कहा कि एनएसएस सदस्यों द्वारा सुझाए गए अनुसार एनएसएस, सीएएमएस में स्तरीकरण की संभावना की जांच कर सकता है।

2.39 उपरोक्त सिफारिशों को दिनांक 30 सितंबर, 2021 के पत्राचार संख्या 17(1)(119)/एनएससी/2021 के माध्यम से एनएसओ (एनएसएस) को अग्रेषित किया गया था।

{कार्रवाई: एनएसओ (एनएसएस)}

एमएसएमई के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिंक्ड सुविधाओं पर सर्वेक्षण

2.40 डीडीजी (एसडीआरडी) ने एमएसएमई के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिंक्ड सुविधाओं संबंधी सर्वेक्षण पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

i. एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू से सर्वेक्षण कराने का फैसला किया।

ii. तदनुसार, 6 अप्रैल, 2021 को एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक प्रारंभिक बैठक वर्चुअली आयोजित की गई जिसमें एसडीआरडी, डीक्यूएडी, एफओडी और एससीडी के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि:

ख. एमएसएमई मंत्रालय अपने उद्यम पंजीकरण पोर्टल में उपलब्ध 25 लाख इकाइयों की सूची साझा करेगा, जिसमें पता, पिनकोड, राज्य, जिला, संपर्क नंबर, पूंजी, संयंत्र और मशीनरी में निवेश, कारोबार, रोजगार आदि जैसे विवरण शामिल होंगे।

ग. उन इकाइयों की सूची में से 1% (लगभग 25,000) का पता यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा और डीक्यूएडी और एफओडी द्वारा टेलीफोन द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

iii. इस सर्वेक्षण पर वर्तमान स्थिति यह है कि 25 लाख एमएसएमई इकाइयों की सूची अभी भी एमएसएमई मंत्रालय से प्रतीक्षित है। एनएसओ (एसडीआरडी) ने दिनांक 6 अप्रैल, 2021 की बैठक में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम तैयार किया है। हालांकि, इस संबंध में एमएसएमई मंत्रालय से कोई ओर सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2.41 इस मामले पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि एमएसएमई के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिंक सुविधाओं पर सर्वेक्षण के एजेंडा को हटा दिया जाए क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सर्वेक्षण के संचालन के लिए एनएसएस के साथ कोई और आवश्यक संचार नहीं किया है।

2.42 उपरोक्त सिफारिशों को दिनांक 30 जुलाई, 2021 के पत्राचार संख्या 17(1)(118)/एनएससी/2021 के माध्यम से एनएसओ (एनएसएस) को अग्रेषित किया गया था।

{कार्रवाई: एनएसओ (एनएसएस)}

अध्याय-3

अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएससी ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अलावा कुछ मंत्रालयों/विभागों में संचालित की गई सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा की।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार वर्ष का वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 में संशोधन

3.1 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग(डीपीआईआईटी) ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष का वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 में संशोधन पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) के समक्ष प्रस्तुति दी। एनएससी ने निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं को नोट किया:

I. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की वर्तमान श्रृंखला वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष के साथ मई 2017 में आरंभ की गयी। सूचकांक अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन का पर्याप्त रूप से समायोजन किया जा सके, इसके लिए प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी-समूह का गठन जून 2019 में किया गया जिससे आगामी आधार वर्ष और डब्ल्यूपीआई के आधार संशोधन के लिए कार्यप्रणाली सुझाई जा सके।

II. संबंधित मंत्रालय/विभाग और उद्योग संघ भी सक्रिय परामर्श कर रहे थे। टिप्पणियां/सुझाव मांगने के लिए कार्यकारी-समूह की मसौदा रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। सभी हितधारकों के निवेश पर सोच-विचार करने के बाद, कार्यकारी-समूह ने उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

III. डीपीआईआईटी ने सूचित किया कि कार्यकारी-समूह द्वारा नए आधार वर्ष के रूप में वर्ष 2017-18 की संस्तुति की गई थी और साधारण कृषि उत्पाद और अन्य मुख्य आर्थिक संकेतकों पर आधारित कीमतों की सांख्यिकी और निर्वाह-व्यय (एसपीसीएल) पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा भी समर्थन दिया गया।

IV. डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखला के लिए भार आरेख वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के त्रैवार्षिक औसत के शुद्ध व्यवसाय मूल्य पर आधारित होगा, क्योंकि त्रैवार्षिक औसत वर्षों के दौरान अस्थिरता को स्थिर करने के लिए अधिक उचित पाया गया है।

V. आधार 2017-18 के साथ नए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में, विनिर्माण उत्पाद समूह का भार 62.04 प्रतिशत और उसके बाद प्राथमिक वस्तु समूह का 25.11 प्रतिशत और ईंधन और विद्युत समूह के अंतर्गत 12.85 प्रतिशत होगा।

VI. भारित प्रारंभिक सूचकांक नॉन-कोकिंग कोयला और विद्युत के लिए शुरु किया जाएगा। नोडल मंत्रालय से परामर्श और सर्वोत्तम पद्धति को ध्यान में रखते हुए नॉन-कोकिंग कोयला हेतु अधिसूचित कीमतों के साथ नीलामी कीमतों पर विचार किया जाएगा।

VII. अस्थायी गैर-सूचित कीमतों का अभ्यारोपन सीपीआई-संयुक्त के लिए यथा अनुसरित विनिर्माण उत्पाद हेतु प्रतिक्रिया उद्धरण के निर्धारित औसत मूल्य पर आधारित होगा। दीर्घावधि के लिए लुप्त कीमतों के मामले डब्ल्यूपीआई की चालू श्रृंखला में अनुसरण की गई परिपाटी के अनुसार समबंधन प्रणाली का प्रयोग कर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

VIII. नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में विद्युत को दो श्रेणियों जलीय और उष्मीय में विभाजित किया जाएगा। खनिज पदार्थ को तीन श्रेणियों धातुमय, लघु और अन्य खनिज पदार्थ में विभाजित किया जाएगा।

IX. श्रृंखला घटक की गणना, सीपीआई-संयुक्त के लिए अनुसरण की जा रही परिपाटी और हाल ही की आईएमएफ नियमावली में अनुशंसित सर्वोत्तम पद्धतियों पर आधारित, नवीनतम 12 महीने के लिए पुरानी और नई श्रृंखला के संबंधित सूचकांकों के अनुपात के अनुसार की जाएगी। श्रृंखला घटक, प्रधान समूहों और संयुक्त सभी वस्तुओं के लिए, डब्ल्यूपीआई के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जारी किया जाएगा।

X. नई श्रृंखला में वर्तमान श्रृंखला की यथावर्णित निरंतर और समान प्रवृत्ति दिखाई देती है।

XI. डीपीआईआईटी ने सूचित किया कि वर्तमान श्रृंखला के समानांतर नई श्रृंखला के लिए समर्पित वेब पोर्टल का विकास, प्रवेश-स्तर और मुख्यालय स्तर पर समकालीन आंकड़ा मान्यीकरण एवं संस्थागत स्रोतों तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग द्वारा निकट तालमेल व सुसंगत सहयोग, वैश्विक महामारी कोविड के कारण व्यवधान होने के बावजूद डेटा संग्रहण और सूचकांक संकलन के लिए समय-सीमा को कम करने में सक्षम थे।

3.2 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एनएससी ने निम्नलिखित संस्तुतियां की:

i) डीपीआईआईटी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आधार वर्ष 2017-18 के साथ डब्ल्यूपीआई की संशोधित श्रृंखला शीघ्र ही जारी की जाए।

ii) डब्ल्यूपीआई की संशोधित श्रृंखला में, कुछ बदलाव शामिल किए गए हैं। डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखला के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली को उपयोगकर्ताओं की सूचना के लिए डीपीआईआईटी की कार्यालयी वेबसाईट पर प्रकाशित करना चाहिए।

iii) डब्ल्यूपीआई प्रणाली में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक मूल्य डेटा के संग्रहण के लिए दिशा-निर्देश और अनुदेश मौजूद हों और डेटा संग्रहण में शामिल कर्मचारी इस गतिविधि के लिए सामयिक प्रशिक्षित और उन्मुख हों।

iv) एनएससी के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियां:

(क) जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 का डेटा जारी कर दिया गया है, क्या हम मध्य वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष के रूप में मानने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17/2017-18/2018-19 का डेटा प्रयोग कर सकते हैं।

(ख) जैसा कि नोटबंदी नवंबर, 2016 में अमल में लाई गई थी, क्या आधार वर्ष 2017-18 पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है ?

3.3 इन टिप्पणियों के साथ, आधार वर्ष 2017-18 के साथ डब्ल्यूपीआई की कार्य-प्रणाली और प्रस्तावित नई श्रृंखला को एनएससी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

3.4 दिनांक 22 मार्च, 2022 के पत्राचार सं. 17(1)(122)/एनएससी/2022 द्वारा पूर्वोक्त संस्तुतियां डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई: डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

अनुलग्नक-I

अनुलग्नक-I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2019/अग्रहायण 28, 1941
No. 478] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2019/AGRAHAYANA 28, 1941

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

सं.1/एनएससी/2019-भाग-1.—देश की सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में जनवरी, 2000 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने देश के समस्त कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों के लिए एक नोडल एवं शक्तिसंपन्न निकाय के रूप में कार्य करने, सांख्यिकीय प्राथमिकताओं एवं मानकों को विकसित, प्रबोधित एवं लागु करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करते हेतु एक सांविधानिक राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की । रंगराजन समिति ने यह भी सिफारिश की कि आयोग को शुरू में थोड़े से अधिकार के साथ गठित किया जाए ताकि जब यह कार्य करना शुरू करे तो इसकी उभरती जरूरतों तथा मूल वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जा सके । **अब रंगराजन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप और समस्त मौजूदा अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए,** प्रारंभ में, सरकारी संकल्प के माध्यम से आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है । आशा है कि एक वर्ष की अवधि के भीतर सांविधिक आयोग का गठन कर लिया जाएगा ।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) एक अंशकालिक अध्यक्ष, जो एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् अथवा समाजशास्त्री हो/रहा हो, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(ख) चार अंशकालिक सदस्य, निम्नलिखित क्षेत्रों से एक-एक, जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जायेगा तथा जिन्हें निम्नलिखित में विशेषज्ञता तथा अनुभव हासिल हो -

(i) कृषि, उद्योग, बुनियादी सुविधा, व्यापार अथवा वित्त जैसे क्षेत्रों मे आर्थिक सांख्यिकी,

(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी,

(iii) गणना, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय सूचना प्रणाली या सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय प्रचालन, और

(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग या राज्य सांख्यिकीय प्रणाली।

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) पदेन सदस्य के रूप में ।

(घ) सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के कार्यभार ग्रहण करने तक आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में सृजित किया गया है जो सांविधिक आयोग का सचिव होगा ।

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव (भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्) का चयन भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर विधिवत गठित एक सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

4. सर्च कमेटी अध्यक्ष के चयन के लिए भारत सरकार को तीन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश करेगी और उनमें से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। सर्च कमेटी 2 (ख) और 2 (घ) की प्रत्येक श्रेणी में से दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश भी करेगी, जिन्हें क्रमशः सदस्य और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में नियुक्त किया जाएगा और भारत सरकार आयोग के सदस्य के रूप में 2 (ख) के तहत प्रत्येक श्रेणी में से एक सदस्य को नामांकित करेगी और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् को नियुक्त करेगी ।

5. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। अध्यक्ष का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर का तथा सदस्य भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होंगे ।

6. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग निम्नलिखित कार्य का निष्पादन करेगा:

(क) कोर सांख्यिकी की पहचान करना जो राष्ट्रीय महत्व की है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है;

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग की सहायता करने के लिए व्यावसायिक समितियों या कार्य समूहों का गठन करना;

(ग) सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं को विकसित करना;

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों तथा रीतिविधानों को विकसित करना और कोर सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक तैयार करना;

(ङ) विभिन्न आंकड़ा सेटों के लिए रिलीज़ कैलेंडर सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ तैयार करना;

(च) सांख्यिकीय प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित सरकारी सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ विकसित करना;

(छ) सरकारी सांख्यिकी में जन विश्वास सुधारने हेतु उपाय विकसित करना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्र के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपाय निकालना;

(झ) मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करना;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय कार्यकलापों पर सांख्यिकीय लेखा परीक्षा करना;

(ट) केंद्र सरकार अथवा कोई राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को (ग) से (ज) तक के खण्डों के अंतर्गत तैयार किए गए मानकों, रणनीतियों तथा अन्य उपायों आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाना;

(ठ) सरकार को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग हेतु संविधि सहित सांख्यिकीय मुद्दों पर विधायी उपायों की आवश्यकता संबंधी सलाह देना;

(ध) तैयार की गई नीतियों, मानकों तथा रीतिविधानों के मद्देनजर सांख्यिकीय प्रणाली के कार्यों का प्रबोधन तथा समीक्षा करना और निष्पादन वृद्धि हेतु उपायों की सिफारिश करना ।

7. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के साथ-साथ केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का एकल सत्ता में विलय हो जाएगा जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) कहा जायेगा जो सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के कार्यकारी स्कंध के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करेगा । राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव की रैंक का एक अधिकारी होगा, जिसे भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में पदनामित किया जाएगा और वह आयोग के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा। वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के कार्यों का निर्वहन करेंगे।

8. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सेवार्थ एक सचिवालय होगा जिसका अध्यक्ष आयोग का सचिव होगा जिसकी सहायता हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में भारतीय सांख्यिकी सेवा का एक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे ।

9. आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग और कुशलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु अपेक्षित स्वायत्तता होगी । विशेष रूप से, आयोग के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:

(क) आयोग कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जो आयोग की नजर में सांख्यिकी उद्देश्यों को पूरा करेगा या कर सकता है,

(ख) कोर सांख्यिकी के संदर्भ में, आयोग सांख्यिकी एजेंसियों और संस्थानों से सांख्यिकी गतिविधियों जिसमें प्रयुक्त अवधारणाओं तथा परिभाषाएं, अपनाई गई कार्यप्रणालियां, अपनाए गए गुणवत्ता मानकों, सैंपलिंग तथा गैर-सैंपलिंग त्रुटियां इत्यादि शामिल है,

(ग) कोर सांख्यिकी से जुड़े मामलों पर किसी लोक सेवक सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देना,

(घ) साक्ष्यों अथवा दस्तावेजों अथवा कोर सांख्यिकी से सम्बद्ध किसी मामले की जाँच हेतु नोटिस जारी करना ।

10. आयोग के पास अपने संक्षिप्त तथा विस्तृत अवधि के कार्यक्रम तैयार करने का अधिकार भी होगा ।

11. वित्त वर्ष के दौरान अपने कार्य कलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केंद्र सरकार को भेजेगा । केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ उसमें की गई संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई और ऐसी संस्तुतियों को स्वीकृत न किए जाने के कारणों पर एक ज्ञापन संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करेगी । जहां कोई संस्तुति अथवा कोई भी भाग किसी राज्य सरकार से संबंधित होगा, तो आयोग ऐसी संस्तुति और उक्त भाग को राज्य सरकारों को अग्रेषित करेगा जो राज्य संबंधी संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई और ऐसी संस्तुतियों को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हो, को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन सहित उक्त भाग को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

12. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, भवन किराए पर लेना, व्यावसायिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएँ तथा आयोग की प्रतिदिन की प्रशासनिक जरूरतें शामिल है, को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मांग द्वारा पूरा किया जाएगा तथा यह संसद द्वारा 'स्वीकृत' किया जाएगा ।

अनुजा बापट, उप महानिदेशक, एनएससीएस

[विज्ञापन-III/4/असा./365/19]

टिप्पणी: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना मूल रूप से दिनांक 1 जून 2005 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- III खंड 4 अधिसूचना सं. 85 के रूप में प्रकाशित संकल्प संख्या ए-11011/1/2005-प्रशा.-I द्वारा की गई थी । जिसे बाद में भारत के राजपत्र साप्ताहिक (9-15 मई 2015) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 19 तथा दिनांक 04 सितंबर 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1-खंड-1 में प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना संख्या 299 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

RESOLUTION

New Delhi, the 5th November, 2019

No.1/NSC/2019-Part-1.- The National Statistical Commission set up by the Government in January, 2000 under the chairmanship of Dr. C. Rangarajan to review the statistical system of the country recommended the establishment of a Statutory National Commission on Statistics to serve as a nodal and empowered body for all core statistical activities of the country, to evolve, monitor and enforce statistical priorities and standards and to ensure statistical co-ordination. The Rangarajan Commission also recommended that the Commission be set up initially through a Government order with a modicum of authority so as to evolve the legislation taking into account the ground realities and the emerging requirements when it starts to function. **Now in the line of the Recommendations of Rangrajan Commission and in supersession of all existing Notifications**, it has been decided to set up the Commission initially through a government Resolution. It is expected that the statutory Commission would be set up within a period of one year.

2. The National Statistical Commission will consist of -

(a) a part-time Chairperson who is, or has been, an eminent statistician or social scientist to be nominated by the Government of India;

(b) four part-time Members, one each from the following fields, to be nominated by the Government of India, from amongst the persons having specialization and experience in –

(i) economic statistics in such areas as agriculture, industry, infrastructure, trade or finance,

(ii) social and environment statistics in such areas as population, health, education, labour and employment or environment,

(iii) statistical operations in such areas as censuses, surveys, statistical information system or information technology, and

(iv) national accounts, statistical modeling or State Statistical Systems

(c) The Chief Executive Officer, NITI Aayog (National Institution for Transforming India) as *ex officio* Member.

(d) The Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation will function as *ex-officio* Member Secretary of the Commission till the Chief Statistician of India assumes office. The Chief Statistician of India, the post created specifically as the head of the National Statistical Office, will be the Secretary of the Statutory Commission.

3. The Chairman, Members and Secretary of the National Statistical Commission (Chief Statistician of India) will be selected on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted by the Government of India from time to time for the purpose.

4. The Search Committee shall recommend names of three persons to the Government of India for selection as chairperson and one of them would be nominated as the chairperson. The Search Committee shall also recommend names of two persons from each of the categories in 2(b) and 2(d) eligible to be appointed as Members and Chief Statistician of India respectively, and the Government of India shall nominate one member from each of the categories under 2(b) as Members of the Commission and appoint the Chief Statistician of India.

5. The tenure of the Chairperson and the Members shall be three years. The status of the Chairperson would be that of a Minister of State and the Members would be equivalent to Secretary to the Government of India.

6. The National Statistical Commission will perform the following functions:

(a) to identify the core statistics, which are of national importance and are critical to the development of the economy;

(b) to constitute professional committees or working groups to assist the Commission on various technical issues;

(c) to evolvenational policies and priorities relating to the statistical system;

(d) to evolve standard statistical concepts, definitions, classifications and methodologies in different areas in statistics and lay downnational quality standards on core statistics;

(e) to evolve national strategies for the collection, tabulation and dissemination of core statistics, including the release calendar for various data sets;

(f) to evolve national strategies for human resource development on official statistics including information technology and communication needs of the statistical system;

(g) to evolve measures for improving public trust in official statistics;

(h) to evolve measures for effective co-ordination with State Governments and Union Territory Administrations on statistical activities including strengthening of existing institutional mechanisms;

(i) to exercise statistical co-ordination between Ministries, Departments and other agencies of the Central Government;

(j) to exercise statistical audit over the statistical activities to ensure quality and integrity of the statistical products

(k) to recommend to the Central Government, or anyState Government, as the case may be, measures to effectively implement the standards, strategies and other measures evolved under clauses (c) to (h)

(l) to advise the Government on the requirement of legislative measures on statistical matters including the statute for the National Statistical Commission.

(m) to monitor and review the functioning of the statistical system in the light of the laid down policies, standards and methodologies andrecommend measures for enhanced performance.

7. Along with the establishment of the National Statistical Commission, the Central Statistical Organisation (CSO) and the National Sample Survey Organisation (NSSO) will be merged into a single entity called the National Statistical Organisation (NSO), which will function as the executive wing of the Government of India in the field of statistics and act according to the policies and priorities as laid down by the NSC. The NSO would be headed by an Officer of the rank of Secretary to the Government of India, who will be designated as the Chief Statistician of India and he will also function as the Secretary of the Commission. He will discharge the functions of Secretary of the Government of India in theMinistry of Statistics and Programme Implementation.

8. The National Statistical Commission will be serviced by a Secretariat headed by Secretary of the Commission who will be supported by an officer of the Indian Statistical Service in the Senior Administrative Grade and other officials.

9. The Commission will have the requisite autonomy to discharge its functions effectively and efficiently. In particular, the Commission will have powers to:

(a) require production of any document which in the opinion of the Commission will serve or may serve statistical purposes,

(b) require statistical agencies and institutions to provide details of statistical activities, including concepts and definitions used, methodologies followed, quality standards adopted, sampling and non-sampling errors, etc. in respect of 'core statistics', and

(c) require attendance of any person including any public servant on matters connected with core statistics

(d) issuing notices for the examination of witnesses and documents or any matters connected with core statistics

10. The Commission will also have authority to formulate its short and long term programmes.

11. The Commission shall prepare, for each financial year, its Annual Report, giving a full account of its activities during the financial year and forward the same to the Central Government. The Central Government shall cause to be

laid the Annual Report together with a memorandum of action taken on the recommendations therein, along with the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations before each House of Parliament. Where any recommendation or any part thereof concerns any State Government, the Commission shall forward a copy of such recommendation or part thereof to such State Governments which shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken on the recommendations relating to the State and reasons for the non-acceptance if any, of any such recommendations.

12. The annual expenditure on account of the establishment of the National Statistical Commission including salary and wages, domestic travel, office expenses, hiring of accommodation, professional services, administrative services and requirements for day to day administration of the Commission will be met from a demand under the Ministry of Statistics and Programme Implementation and will be 'voted' by the Parliament.

ANUJABAPAT, Dy. Director General, NSCS

[ADVT.-III/4/Exty./365/19]

Note: The National Statistical Commission was originally set up by Government Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I, published as Notification No. 85 on 1st June 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III Section 4 which was later amended by Government of India Notification No. 19 published in the Gazette of India Weekly (9-15 May 2015) and Govt. of India Notification No 299 dated 04th September 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1-Section-1.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2005/ज्येष्ठ 11, 1927
No. 85] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2005/JYAISTHA 11, 1927

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जून, 2005

सं. ए-11011/1/2005 प्रशा.-I.—देश की सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में जनवरी, 2000 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने देश के समस्त कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों के लिए एक नोडल एवं शक्तिसंपन्न निकाय के रूप में कार्य करने, सांख्यिकीय प्राथमिकताओं एवं मानकों को विकसित, प्रबोधित एवं लागू करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करते हेतु एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की। रंगराजन समिति ने यह भी सिफारिश की कि आयोग को शुरू में थोड़े से अधिकार के साथ गठित किया जाए ताकि जब यह कार्य करना शुरू करे तो इसकी उभरती जरुरतों तथा मूल वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जा सके। इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि आयोग को शुरू में सरकारी संकल्प द्वारा गठित किया जाएगा। आशा है सांविधिक आयोग का गठन एक वर्ष की अवधि के भीतर कर लिया जाएगा।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे --

(क) एक अंशकालिक अध्यक्ष, जो एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् अथवा समाजशास्त्री हो/रहा हो, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ।

(ख) चार अंशकालिक सदस्य, निम्नलिखित क्षेत्रों से एक-एक, जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा तथा जिन्हें निम्नलिखित में विशेषज्ञता तथा अनुभव हासिल हो -

(i) कृषि, उद्योग, बुनियादी सुविधा, व्यापार अथवा वित्त जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सांख्यिकी,

(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार अथवा पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी,

(iii) गणना, सर्वेक्षणों, सांख्यिकीय सूचना प्रणाली अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय प्रचालन, तथा

(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग अथवा राज्य सांख्यिकीय प्रणाली

(ग) सचिव, योजना आयोग, पदेन सदस्य के रूप में ।

(घ) सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के कार्यभार ग्रहण करने तक आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में सृजित किया गया है जो सांविधिक आयोग का सचिव होगा ।

3. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव (भारत के मुख्य सांख्यिकीविद) को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विधिवत गठित सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चयनित किया जाएगा । सर्च कमेटी में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) योजना आयोग के उपाध्यक्ष - अध्यक्ष

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर - सदस्य, तथा

(iii) दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो ख्यातिप्राप्त सांख्यिकीविद अथवा सामाजिक वैज्ञानिक हो सकते हैं और जिन्हें देश की सांख्यिकीय प्रणाली का प्रगाढ़ ज्ञान हो - सदस्य

4. सर्च कमेटी अध्यक्ष के चयन हेतु तीन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश भारत सरकार को करेगी और उनमें से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा । सर्च कमेटी 2(ख) तथ 2(घ) की प्रत्येक श्रेणी में से दो व्यक्तियों के नामों जो क्रमशः सदस्य तथा मुख्य सांख्यिकीविद की नियुक्ति पाने के पात्र हों, की भी सिफारिश करेगी और भारत सरकार 2(ख) के अंतर्गत आयोग के सदस्यों के रूप में प्रत्येक श्रेणी से एक सदस्य नामित करेगी तथा मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त करेगी ।

5. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । अध्यक्ष का दर्जा राज्यमंत्री के बराबर का तथा सदस्य भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होंगे ।

6. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) कोर सांख्यिकी की पहचान करना जो राष्ट्रीय महत्व की है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधक है ।

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग को सहायता देने के लिए व्यावसायिक समितियां अथवा कार्य समूह गठित करना,

(ग) सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं का विकास करना ,

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों तथा रीतिविधानों को विकसित करना और कोर सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक तैयार करना,

(ङ.) विभिन्न आंकड़ा सेटों के लिए रिलीज कैलेंडर सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सोरणीयन और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना ।

(च) सांख्यिकीय प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित सरकारी सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करना;

(छ) सरकारी सांख्यिकी में जन विश्वास सुधारने हेतु उपाय विकसित करना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्रों के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपाय निकालना;

(झ) मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य अभिकरणों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करना;

(ञ) केन्द्र सरकार, अथवा कोई राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को (ग) से (ज) तक के खंडों के अंतर्गत तैयार किए गए मानकों, रणनीतियों तथा अन्य उपायों आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाना;

(ट) सरकार को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग हेतु संविधि सहित सांख्यिकीय मुद्दों पर विधायी उपायों की आवश्यकता संबंधी सलाह देना ।

(ठ) तैयार की गई नीतियों, मानकों तथा रीतिविधानों के मद्देनजर सांख्यिकीय प्रणाली के कार्यों का प्रबोधन तथा समीक्षा करना और निष्पादन वृद्धि हेतु उपायों की सिफारिश करना ।

7. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के साथ-साथ केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन(सीएसओ) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) का एकल सत्ता में विलय हो जाएगा जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) कहा जाएगा जो सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के कार्यकारी स्कंध के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करेगा । राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव की रैंक का एक अधिकारी होगा जिसे भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में पदनामित किया जाएगा और वह आयोग के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा । वे सांख्यिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव को कार्य करेंगे ।

8. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दो स्कंध होंगे, अर्थात् (i) केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय; तथा (ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय । संगणक केन्द्र, जो आंकड़ा भंडारण तथा प्रसार का कार्य करता है, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का भाग होगा । इस प्रकार, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की सहायतार्थ सांख्यिकी के दो महा निदेशक, अर्थात् एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का प्रभारी तथा दूसरा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रभारी होगा जिसका रैंक भा.सां.से. के उच्चतम प्रशासनिक ग्रेड-I (एचएजी-I) का होगा ।

9. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सेवार्थ एक सचिवालय होगा जिसका अध्यक्ष आयोग का सचिव होगा जिसकी सहायता हेतु वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड में भारतीय सांख्यिकीय सेवा का एक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे ।

10. आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी तथा क्षमतापूर्ण ढंग से निपटाने हेतु अपेक्षित स्वायत्तता होगी । विशेष रूप से आयोग के पास निम्नलिखित कार्यों हेतु शक्ति होगीः

(क) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की मांग करना जो आयोग की राय में सांख्यिकीय जरूरतों को पूरा करेगा अथवा पूरा कर सकता हो,

(ख) "कोर सांख्यिकी" के संदर्भ में प्रयुक्त अवधारणाओं, परिभाषाओं, अनुसरित रीतिविधानों, अपनाए गए गुणवत्ता मानकों, प्रतिचयन तथा गैर प्रतिचयन त्रुटियों आदि सहित सांख्यिकीय गतिविधियों के ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु

सांख्यिकीय अभिकरणों तथा संस्थानों की अपेक्षा रखना, तथा

(ग) कोर सांख्यिकी से जुड़े मामलों पर किसी लोक सेवक सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देना ।

(घ) साक्ष्यों अथवा दस्तावेजों अथवा कोर सांख्यिकी से संबद्ध किसी मामले की जांच हेतु नोटिस जारी करना ।

11. आयोग के पास अपने संक्षिप्त तथा विस्तृत अवधि के कार्यक्रम तैयार करने का अधिकार भी होगा ।

12. "वित्त वर्ष के दौरान अपने क्रिया कलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केन्द्र सरकार को भेजेगा । केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ उसमें की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकृत न किए जाने के कारणों पर एक ज्ञापन संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करेगी । जहां कोई अनुशंसा अथवा कोई भी भाग किसी राज्य सरकार से संबंधित होगा, तो आयोग ऐसी अनुशंसा और उक्त भाग को राज्य सरकारों को अग्रेषित करेगा जो राज्य संबंधी अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन सहित उक्त भाग को राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।"

13. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, भवन किराए पर लेना, व्यावसायिक सेवाए, प्रशासनिक सेवाएं तथा आयोग की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक जरूरतें शामिल हैं, को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक मांग से पूरा किया जाएगा और जिसे संसद द्वारा "स्वीकृत" किया जाएगा ।

अरुण कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन/III/IV/186ए/2005/असा०]

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

RESOLUTION

New Delhi, the 1st June, 2005

No. A-11011/1/2005-Ad. I.—The National Statistical Commission set up by the Government in January, 2000 under the chairmanship of Dr. C. Rangarajan to review the statistical system of the country recommended the establishment of a Statutory National Commission on Statistics to serve as a nodal and empowered body for all core statistical activities of the country, to evolve, monitor and enforce statistical priorities and standards and to ensure statistical co-ordination. The Rangarajan Commission also recommended that the Commission be set up initially through a Government order with a modicum of authority so as to evolve the legislation taking into account the ground realities and the emerging requirements when it starts to function. In line with the above recommendations, it has been decided to set up the Commission initially through a Government resolution. It is expected that the statutory Commission would be set up within a period of one year.

2. The National Statistical Commission will consist of -

(a) a part-time Chairperson who is, or has been, an eminent statistician or social scientist to be nominated by the Government of India;

1666 GI/08-2

(b) four part-time Members, one each from the following fields, to be nominated by the Government of India, from amongst the persons having specialization and experience in –

(i) economic statistics in such areas as agriculture, industry, infrastructure, trade or finance,

(ii) social and environment statistics in such areas as population, health, education, labour and employment or environment,

(iii) statistical operations in such areas as censuses, surveys, statistical information system or information technology, and

(iv) national accounts, statistical modeling or State Statistical Systems.

(c) The Secretary, Planning Commission as *ex officio* Member.

(d) The Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation will function as *ex-officio* Member Secretary of the Commission till the Chief Statistician of India assumes office. The Chief Statistician of India, the post created specifically as the head of the National Statistical Office, will be the Secretary of the Statutory Commission.

3. The Chairman, Members and Secretary of the National Statistical Commission (Chief Statistician of India) will be selected on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation for the purpose. The Search Committee shall consist of

(i) Deputy Chairman of the Planning Commission – Chairperson;

(ii) Deputy Governor of the Reserve Bank of India – Member; and

(iii) Two eminent persons who may be distinguished statisticians or social scientists with an intimate knowledge of the statistical system of the country – Members.

4. The Search Committee shall recommend names of three persons to the Government of India for selection as chairperson and one of them would be nominated as the chairperson. The Search Committee shall also recommend names of two persons from each of the categories in 2(b) and 2(d) eligible to be appointed as Members and Chief Statistician respectively, and the Government

of India shall nominate one member from each of the categories under 2(b) as Members of the Commission and appoint the Chief Statistician.

5. The tenure of the Chairperson and the Members shall be three years. The status of the Chairperson would be that of a Minister of State and the Members would be equivalent to Secretary to the Government of India.

6. The National Statistical Commission will perform the following functions:

(a) to identify the core statistics, which are of national importance and are critical to the development of the economy;

(b) to constitute professional committees or working groups to assist the Commission on various technical issues;

(c) to evolve national policies and priorities relating to the statistical system;

(d) to evolve standard statistical concepts, definitions, classifications and methodologies in different areas in statistics and lay down national quality standards on core statistics;

(e) to evolve national strategies for the collection, tabulation and dissemination of core statistics, including the release calendar for various data sets;

(f) to evolve national strategies for human resource development on official statistics including information technology and communication needs of the statistical system;

(g) to evolve measures for improving public trust in official statistics;

(h) to evolve measures for effective co-ordination with State Governments and Union Territory Administrations on statistical

activities including strengthening of existing institutional mechanisms;

(i) to exercise statistical co-ordination between Ministries, Departments and other agencies of the Central Government;

(j) to exercise statistical audit over the statistical activities to ensure quality and integrity of the statistical products

(k) to recommend to the Central Government, or any State Government, as the case may be, measures to effectively implement the standards, strategies and other measures evolved under clauses (c) to (h)

(l) to advise the Government on the requirement of legislative measures on statistical matters including the statute for the National Statistical Commission.

(m) to monitor and review the functioning of the statistical system in the light of the laid down policies, standards and methodologies and recommend measures for enhanced performance.

7. Along with the establishment of the National Statistical Commission, the Central Statistical Organisation (CSO) and the National Sample Survey Organisation (NSSO) will be merged into a single entity called the National Statistical Organisation (NSO), which will function as the executive wing of the Government of India in the field of statistics and act according to the policies and priorities as laid down by the NSC. The NSO would be headed by an Officer of the rank of Secretary to the Government of India, who will be designated as the Chief Statistician of India and he will also function as the Secretary of the

Commission. He will discharge the functions of Secretary of the Government of India in the Department of Statistics.

8. The NSO will have two wings, viz., (i) Central Statistics Office (CSO); and (ii) National Sample Survey Office (NSSO). The Computer Centre, dealing with data storage and dissemination, will form part of the CSO. Thus, there will be two Director's General of Statistics to assist the Chief Statistician of India, viz., one in charge of NSSO and the other in charge of CSO in the rank of Higher Administrative Grade-I (HAG-I) of ISS.

9. The National Statistical Commission will be serviced by a Secretariat headed by Secretary of the Commission who will be supported by an officer of the Indian Statistical Service in the Senior Administrative Grade and other officials.

10. The Commission will have the requisite autonomy to discharge its functions effectively and efficiently. In particular the Commission will have powers to:

(a) require production of any document which in the opinion of the Commission will serve or may serve statistical purposes,

(b) require statistical agencies and institutions to provide details of statistical activities, including concepts and definitions used, methodologies followed, quality standards adopted, sampling and non-sampling errors, etc. in respect of 'core statistics', and

(c) require attendance of any person including any public servant on matters connected with core statistics.

(d) issuing notices for the examination of witnesses and documents or any matters connected with core statistics.

11. The Commission will also have authority to formulate its short and long term programmes.

12. The Commission shall prepare, for each financial year, its Annual Report, giving a full account of its activities during the financial year and forward the same to the Central Government. The Central Government shall cause to be laid the Annual Report together with a memorandum of action taken on the recommendations therein, along with the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations before each House of Parliament. Where any recommendation or any part thereof concerns any State Government, the Commission shall forward a copy of such recommendation or part thereof to such State Governments which shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken on the recommendations relating to the State and reasons for the non-acceptance if any, of any such recommendations.

13. The annual expenditure on account of the establishment of the National Statistical Commission including salary and wages, domestic travel, office expenses, hiring of accommodation, professional services, administrative services and requirements for day to day administration of the Commission will be met from a demand under the Ministry of Statistics and Programme Implementation and will be 'voted' by the Parliament.

A. K. SAXENA, Jt. Secy.

[ADVT/III/IV/186A/2005/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुलग्नक-II

अनुलग्नक-II

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 2006/वैशाख 20, 1928
No. 465] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 2006/VAISAKHA 20, 1928

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2006

(राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तें)

का.आ. 668(अ).—राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग स्थापित करने संबंधी भारत सरकार के संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.-I दिनांक 01 जून 2005 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तों का अनुमोदन करते हैं ।

2. **परिभाषाः-** इन सेवा शर्तों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'सरकार' से तात्पर्य भारत सरकार से है ;

(ख) 'आयोग' से तात्पर्य राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग है ;

(ग) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है ;

(घ) 'सदस्य' से तात्पर्य कमीशन के अध्यक्ष तथा पदेन सदस्यों के अलावा कमीशन के अन्य सदस्य से है ;

(ङ.) 'संकल्प' से भारत सरकार का संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशासन-I दिनांक 01 जून 2005 अभिप्रेत है से तात्पर्य कमीशन के अध्यक्ष तथा पदेन सदस्यों के अलावा कमीशन के अन्य सदस्य से है ;

(च) 'सर्च समिति' से अभिप्राय सरकार द्वारा संकल्प के खण्ड 3 के तहत अनुमोदित समिति से है ।

3. **अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्य-अवधि तथा सेवा शर्तें**

3.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इस उद्देश्य हेतु सम्यक रूप से गठित एक सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा । आयोग के अध्यक्ष और सदस्य क्रमशः अल्प-कालिक अध्यक्ष और सदस्य होंगे ।

3.2 अध्यक्ष एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् या समाज विज्ञानी और समकालीन सामाजिक, सांख्यिकीय और आर्थिक विकास सबंद्ध विषयों के मात्रात्मक तकनीक के महत्वपूर्ण प्रयोग और वैज्ञानिक पद्धति के अनुप्रयोग में संलग्न शिक्षा शाखा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ।

3.3 चार अल्प-कालिक सदस्य होगें, प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव रखते हो-

(i) कृषि, उद्योग, अवसंरचना, व्यापार या वित्त जैसे क्षेत्रों में अर्थ सांख्यिकी

(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी

(iii) जनगणना, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय आसूचना प्रणाली या आसूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय कार्य

(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग या राज्य सांख्यिकीय प्रणाली ।

3.4 सर्च कमेटी विशेषज्ञता के उपरोक्त क्षेत्रों के प्रत्येक में अध्यक्ष के रुप में चुने जाने के लिए तीन व्यक्तियों के नामों तथा सदस्य के रुप में चुने जाने के लिए प्रत्येक दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी । सरकार सर्च कमेटी द्वारा सिफारिश किए गए पेनलों में से अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करेगी ।

3.5 अध्यक्ष की कार्य अवधि तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, की होगी । सभी सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) की कार्य अवधि तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की होगी । तथापि, उसने नियुक्ति के समय पर 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो । अध्यक्ष और सदस्यों को केवल एक अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे । तथापि सदस्य अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति हेतु पात्र हैं ।

3.6 यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं या अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ हैं, तो उन कार्यों का ऐसे दूसरे सदस्य द्वारा निर्वहन किया जाएगा जिसके लिए सरकार निदेश देगी, जब तक कि नये अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण न कर लें या वर्तमान अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनर्ग्रहण न कर लें ।

3.7 सर्च कमेटी में किसी रिक्ति मात्र के कारण अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति अवैध नहीं होगी ।

3.8 आयोग के अध्यक्ष का स्तर राज्य मंत्री के स्तर का होगा तथा सदस्यों का स्तर सरकार के सचिव के स्तर का होगा ।

3.9 अध्यक्ष 10,000/-रुपये प्रतिमाह के मानदेय के हकदार होंगे । पदेन सदस्यों को छोड़कर, प्रत्येक सदस्य 7,500/-रुपये प्रतिमाह के मानदेय के हकदार होंगे ।

3.10 अन्यथा कहीं पर उल्लेख होते हुए भी, यदि आयोग का कोई सदस्य संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य हो तो वह संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में निर्धारित भत्तों के अलावा किसी परिश्रमिक या जैसा कि मामला हो राज्य विधान सभा की सदस्यता हेतु अयोग्यता निवारण से संबंधित राज्य में लागू किसी कानून के अंतर्गत राज्य विधान सभा के सदस्य के लिए निर्धारित भत्तों, यदि कोई हो, के अलावा किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।

3.11 आयोग के कार्य के संबंध में यात्रा करने के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यगण एक्जीक्यूटिव श्रेणी में हवाई यात्रा या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में रेल द्वारा यात्रा करने के योग्य होंगे । वे आयोग के कार्य के लिए अपने निवास स्थान से बाहर यात्रा करने पर कमरे के किराए एवं दैनिक भत्ते के भी हकदार होंगे । कमरे का किराया एवं दैनिक भत्ता निम्न प्रकार ग्राह्य होगा :-

(i) किसी भी सरकारी गेस्ट हाऊस अथवा आईटीडीसी के मंझोले होटल जैसे- लोधी होटल, कुतुब होटल, जनपथ होटल, अशोक यात्री निवास अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित टूरिस्ट होटल अथवा भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त निवासी आवास में एक कमरे के किराए की प्रतिपूर्ति ।

(ii) सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक निजी लॉज/होटल में ठहरने के लिए कमरे का किराया ।

(iii) भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार के सचिव को यथा ग्राह्य दैनिक भत्ते की साधारण दर के 90% की दर से दैनिक भत्ता ।

(iv) आयोग के कार्यों के निपटान के लिए स्थानीय यात्रा हेतु परिवहन अथवा परिवहन शुल्क ।

3.12 अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार के सचिव यथा ग्राह्य अपने निवास पर दूरभाष के बिल संबंधी प्रतिपूर्ति के लिए भी हकदार होंगे ।

3.13 अध्यक्ष एवं कोई भी अन्य सदस्य अपने हाथ से लिखित सूचना द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है ।

3.14 अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकेगा जब राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किये जाने पर संविधान के अनुच्छेद 145 के खण्ड (1) के उपखण्ड (i) में विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय यह रिपोर्ट दे कि ऐसे किसी आधार पर अध्यक्ष/सदस्य को हटाया जाना चाहिए ।

3.15 राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से निलंबित कर सकता है जिसके संबंध में इस नियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ भेजा गया है जब तक कि ऐसे संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति ने आदेश पारित कर दिया है ।

3.16 खण्ड 3.13 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, आदेश द्वारा अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटा सकते हैं, यदि वे :-

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिया हैं;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए उन पर दोष सिद्ध होता है और उन्हें कारावास होता है, जो राष्ट्रपति के मत से नैतिक अधमता का द्योतक है; अथवा

(ग) वे राष्ट्रपति के मत से, मासिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हैं; अथवा

(घ) यदि राष्ट्रपति के मत से, उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है जिसके कारण व्यक्ति का पद पर बने रहना सांख्यिकीय प्रणाली के हितों के लिए हानिकारक होगा; अथवा

(ङ) वे अनुन्मोचित ऋणशोधक्षम बन जाते हैं; और

(च) कार्य करने से मना करते हैं अथवा कार्य करने में अक्षम हैं

परंतु अध्यक्ष/सदस्य को इस खंड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि मामले में उन्हें सुने जाने का उचित अवसर नहीं दिया जाता ।

4. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की नियुक्ति, कार्यावधि, और सेवा शर्तें ।

4.1 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्, आयोग के सचिव होंगे । वे राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के अध्यक्ष भी होंगे और सांख्यिकी विभाग में सचिव, भारत सरकार के कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

4.2 सर्च कमेटी, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी, जिनमें से भारत सरकार एक व्यक्ति को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् नियुक्त करेगी । किसी बड़े सांख्यिकीय संगठन में सांख्यिकीय और प्रबंधकीय अनुभव वाले व्यक्तियों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा ।

4.3 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की कार्यावधि पांच वर्ष अथवा बासठ वर्ष की आयु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, की होगी । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे और नियुक्ति के समय उनकी आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए ।

4.4 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् भारत सरकार के सचिव के वेतन एवं भत्तों के पात्र होंगे । वे सरकारी आवास, टेलीफोन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य उन सभी सुविधाओं के पात्र होंगे जो भारत सरकार के सचिव के लिए हैं ।

4.5 जहां किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य संस्थान या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो और किसी भी पहली सेवा से संबंधित पेंशन प्राप्त करता हो, तो उस पेंशन की राशि और यदि उन्होंने पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है, तो उसे इन नियमों के अधीन ग्राह्य वेतन में से घटा दिया जाएगा ।

[फा. सं. ए-11011/1/2005 -प्रशा-I (खण्ड -IV)]
अ. कु. सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2006

(Service Condition for Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India)

S.O. 668(E).—In Pursuance of the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005-Ad. I, dated 1st June, 2005 regarding setting up of the National Statistical Commission, the Competent Authority hereby approves the service conditions for Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India.

2. Definition- In these Service conditions, unless the context otherwise requires,

(a) "Government" means the Government of India;

(b) "Commission" means the National Statistical Commission;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(d) "Member" means a Member of the Commission other than the Chairperson and the ex-officio Members of the Commission;

(e) "Resolution" means the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005 -Ad-I, dated 1st June, 2005;

(f) "Search .Committee" means the Committee approved by the Government under Clause 3 of the Resolution.

3. Appointment, Tenure and Service Conditions of the Chairperson and Members

3.1 The Chairperson and Members of the National Statistical Commission will be appointed by the Government on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted for the purpose. The Chairperson and Members of the Commission will be part-time Chairperson and Members respectively.

1414 GI/06-2

3.2 The Chairperson has to be an outstanding statistician or social scientist and a person of eminence in an academic discipline involving application of scientific methods and significant use of quantitative techniques to contemporary social, statistical and economic development related subjects.

3.3 There will be four part time members, one each from the following fields having specialisation and experience in

(i) Economic statistics in such areas as agriculture, industry, infrastructure, trade or finance
(ii) Social and environment statistics in such areas as population, health, education, labour and employment or environment
(iii) Statistical operations in such areas as censuses, surveys, statistical information system or information technology
(iv) National accounts, statistical modeling or state statistical systems.

3.4 The Search Committee shall recommend names of three persons for selection as Chairperson and names of *two* persons each for selection as Member in each of the above areas of specialization. The Government shall appoint Chairperson and Members out of the panels recommended by the Search Committee.

3.5 The tenure of the Chairperson will be three years or till he/she attains the age of seventy years, whichever is earlier. The tenure of all the Members (other than the ex-officio Members) will be three years or till he/she attains the age of sixty five years, whichever is earlier. Chairperson and Members should have, however, attained the age of 55 years at the time of appointment. The Chairperson and Members shall be appointed only for one term and are not eligible for re-appointment. However, Members are eligible for appointment as Chairperson.

3.6 If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his office, as the case may be, be discharged by such other Member as the Government may direct.

3.7 No appointment of Chairperson or other Members shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Search Committee.

3.8 The Chairperson of the Commission will have the status of a Minister of State in the Government and the Members will have the status of a Secretary to the Government.

3.9 The Chairperson will be entitled for an honorarium of Rs.10,000/- per month. Each Member, except the ex-officio Members, will be entitled for an honorarium of Rs.7, 500/- per month.

3.10 Notwithstanding anything contained otherwise, if the Chairperson or any other Member of the Commission happens to be a Member of Parliament, or a State Legislature, he shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act,1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, which the Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification.

3.11 The Chairperson and Members will be eligible to travel by air in executive class or by rail in air-conditioned first class while undertaking tours in connection with the work of the Commission. They will also be eligible for room rent and daily allowance for travel in connection with the work of the Commission outside their place of residence. The room rent and daily allowance admissible would be as follows:

(i) Reimbursement of rent in any State Guest House or for single room in medium range ITDC hotels like Lodhi Hotel, Qutab Hotel, Janpath Hotel, Ashok Yatri Niwas or State Government run Tourist Hotels/Hostels or residential accommodation provided by registered societies like India International Centre and India Habitat Centre.

(ii) Room rent for stay in private lodges/hotels upto the limits specified by the Government.

(iii) D.A. at the rate of 90% of ordinary rates of DA as admissible to the Secretary to the Government for boarding purpose.

(iv) Transport or transport charges for local travel in discharge of the functions of the Commission.

3.12 The Chairperson and Members will also be eligible for reimbursement of bills relating to a telephone at their residence as admissible to the Secretary to the Government.

3.13 The Chairperson and any other Member, may, by notice in writing under his hand addressed to the President, resign his post.

3.14 The Chairperson or a Member shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehavior after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has on inquiry held in accordance with the procedure prescribed by it under sub-clause (1) of clause (1) of Article 145 of the Constitution, reported that the Chairperson/Member ought to be removed on any such ground.

3.15 The President may suspend from office the Chairperson or a Member in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under this sub-rule until the President has passed order on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

3.16 Notwithstanding anything in clause 3.13, the President may by order remove from office the Chairperson or a Member if he/she

(a) is adjudged an insolvent; or
(b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude; or
(c) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or
(d) if in the opinion of the President has so abused his/her position as to render that person's continuance in office detrimental to the interest of the Statistical System, or
(e) becomes an un-discharged solvent and
(f) refuses to act or becomes incapable of acting.

Provided that the Chairperson/Member shall not be removed under this clause until he/she has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

4. Appointment, Tenure and Service Conditions of the Chief Statistician of India.

4.1 The Chief Statistician of India will be the Secretary of the Commission. He will also be the head of the National Statistical Organisation and discharge the functions of the Secretary to the Government of India in the Department of Statistics.

4.2 The Search Committee shall recommend names of two persons for the post of the Chief Statistician of India, out of which the Government of India shall appoint one person as the Chief Statistician of India. Persons with statistical and managerial experience in a large statistical organisation shall be considered for appointment.

4.3 The tenure of the Chief Statistician of India will be five years or till he/she attains the age of sixty two years, whichever is earlier. The Chief Statistician of India will be eligible for reappointment. He/she should have attained the age of 52 years at the time of appointment.

4.4 The Chief Statistician of India will be eligible for the salary and allowances of a Secretary to the Government of India. He will also be eligible for Government accommodation, telephone, medical attendance and all other facilities as admissible to a Secretary to the Government of India.

4.5 Where any person being a retired government servant or retired servant of any other Institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service, is appointed as the Chief Statistician of India, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of that pension and if he had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

[F. No. A-11011/1/2005-Ad-I (Vol.-IV)]

A.K. SAXENA, Jt. Secy.

1414 GI/06-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुलग्नक-III

अनुलग्नक-III

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939
No. 69] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2018

(भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की सेवा शर्तें)

सं.1/एनएससी-2017.— सक्षम प्राधिकारी, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तें निम्नानुसार अनुमोदित करते हैं:—

1. चयन प्रक्रिया: भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए ऐसे भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित की जाएं जिन्हें किसी बड़े सांख्यिकीय संगठन में प्रमाणित सांख्यिकी तथा प्रबंधकीय अनुभव हो। भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर गठित खोज समिति, रिक्ति भरने के लिए आवेदकों में से नामों के पैनल की संस्तुति करेगी। आवेदकों के अतिरिक्त, खोज समिति पद के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों की भी संस्तुति कर सकती है।

2. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए विचार-योग्य आवेदक, पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 55 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा खोज समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

3. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे अगले दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, अर्थात कुल पांच वर्ष अथवा उसके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा/होगी।

4. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् भारत सरकार के सचिव के लिए यथा स्वीकार्य वेतन तथा भत्तों और सरकारी आवास जैसी अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे।

5. सक्षम प्राधिकारी को, यदि आवश्यक समझें, तो आपवादिक मामलों में उपर्युक्त दिए गए अर्हता मापदंडों में यथोचित छूट देने का अधिकार होगा।

6. उपर्युक्त सेवा शर्तें तत्काल प्रभावी होंगी और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के लिए उपबंधों के संदर्भ में असहमति की सीमा तक, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित संकल्प सं. 85, दिनांक 1 जून, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3-उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 465 दिनांक 10.05.2006 तथा भारत के राजपत्र साप्ताहिक (9-15 मई 2015) में प्रकाशित अधिसूचना सं.19 में दिए गए उपबंधों का अधिक्रमण करेंगी।

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./441/17]

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2018

(Service Conditions for the Chief Statistician of India)

No.1/NSC-2017.—The Competent Authority approves the service conditions for the Chief Statistician of India, as under:—

1. Selection procedure: Applications may be invited for the position of Chief Statistician of India from Indian Nationals with proven statistical and managerial experience in a large statistical organization. A Search Committee constituted by the Government of India from time to time for the purpose will recommend a panel of names for filling a vacancy from amongst the applicants. Besides the applicants, the Search Committee may also recommend names of other persons considered suitable for the position.

2. The applicants considered for the position of Chief Statistician of India should not be more than 55 years of age as on the last date for application to the position, as may be determined by the Search Committee.

3. Chief Statistician of India, will have a tenure of three years extendable by a further period of two years, i.e. a total of five years or till he/she attains the age of superannuation, whichever is earlier and will be eligible for reappointment.

4. Chief Statistician of India will be entitled to salary and allowances and other facilities like Government accommodation, as admissible to a Secretary to the Government of India.

5. The Competent Authority reserves the right to suitably relax the eligibility criteria given above, if considered necessary, in exceptional cases.

6. The above service conditions will come into immediate effect and shall, to the extent of disagreement in respect of provisions for Chief Statistician of India, supersede the provisions given in the Resolution No. 85, dated 1st June, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, in the Notification No. 465 dated 10.05.2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II-Section-3-Sub-Section (ii) and in the Notification No. 19 published in the Gazette of India Weekly (9-15 May 2015).

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

[ADVT.-III /4/Exty. /441/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.23 22:17:57 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली